

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 7 जुलाई, 1999

आषाढ़ 16, 1921 शक सम्वत्

#### उत्तर प्रदेश सरकार विधयी अनुभाग—1

संख्या : 1285/सत्रह-वि—1-1(क)12/1999 तखनऊ, 7 जुताई, 1999

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999 पर दिनांक 23 जून, 1999 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1999) [ जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ ]

उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत उद्योग की पुनः संरचना करने, राज्य में विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और प्रदाय को सुव्यवस्थित करने, राज्य में विद्युत उद्योग, जिसमें विद्युत का क्रय, वितरण, प्रदाय और उपयोग, उपभोक्ताओं के हित और उपयोगिताओं को दृष्टिगत रखते हुये सेवा की गुणवत्ता, टैरिफ तथा जन्य प्रभार भी सम्मिलित है, का एक स्वतन्त्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियमन करने, राज्य में विद्युत उद्योग में निजी क्षेत्र के उद्यमियों की सहभागिता आकृष्ट करने के लिये

वातावरण बनाने और सामान्यतया ऐसे अध्युपाय करने जो दक्ष, लाभकारी और प्रतिस्पर्धी रीति से राज्य में विद्युत उद्योग के विकास और प्रबन्ध में सहायक हों, और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:— अध्याय-एक

## प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 कहा जायेगा।
- . (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

- 2—इस अधिनियम में,—
- (क) ''प्रदाय का क्षेत्र'' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसके भीतर किसी लाइसेंसी को विद्युत-प्रदाय करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो;
- (ख) ''पारेषण का क्षेत्र'' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसके भीतर किसी लाइसेंसी को विद्युत-पारेषण करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;
- (ग) ''परिषद'' का तात्पर्य विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से है;
- (घ) ''केन्द्रीय अधिनियम'' का तात्पर्य विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (अधिनियम संख्या 14 सन् 1998) से है;
  - (ङ) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है;
- (च) ''आयोग'' का तात्पर्य धारा 3 में निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है;
  - (छ) ''लाइसेंस'' का तात्पर्य अध्याय पांच के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस से है;
- (ज) ''लाइसेंसधारी'' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो कोई लाइसेंस धारित करता हो और इसमें धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अनन्तिम लाइसेंसधारी भी सम्मिलित है;
- (झ) ''सदस्य'' का तात्पर्य आयोग क्रे किसी सदस्य से है और इसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है;
  - (ञ) ''विनियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम से है;
- ''सम्बन्धी'' का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा-परिभाषित सम्बन्धी से है;
- .(ठ) ''प्रदाय लाइसेंस'' का तात्पर्य विद्युत का प्रदाय करने के लिए धारा 15 की. उपधारा (1) के अधीन दिये गये लाइसेंस से है;
- (ड) विद्युत के संबंध में ''पारेषण'' का तात्पर्य विद्युत के परिवहन या पारेषण की ऐसी किसी पद्धति से है जिसमें पूर्णतया या मुख्यतया अतिरिक्त उच्च वोल्टेज और अतिरिक्त उच्च टेन्शन लाइन और विद्युत संयंत्र हो और जो किसी उत्पादन अवस्थान से किसी उप-अवस्थान को, या किसी विद्युत उत्पादन अवस्थान से किसी अन्य विद्युत उत्पादन अवस्थान को, या किसी उप-अवस्थान से किसी अन्य उप-अवस्थान को, या अन्यथा एक स्थान से किसी अन्य स्थान को, विद्युत परिणमित करने और सम्प्रेषित करने या अन्तरित करने के लिए प्रयोग किया जाता हो;

- (ढ) ''पारेषण लाइसेंस'' का तात्पर्य धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन पारेषण के लिए दिये गये लाइसेंस से हैं;
- (त) ''पावर कारपोरेशन'' का तात्पर्य धारा 13 में निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन तिमिटेड से हैं;
- (थ) ''उपयोगिता'' का तातंर्य ऐसे किसी व्यक्ति से हैं जो विद्युत के उत्पादन, पारेषण, विक्रय, वितरण या प्रदाय के कार्य में लगा हो;
- (द) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में उनके लिये दिये गये हैं;
- (ध) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु इस अधिनियम में या विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में अपरिभाषित शब्दों और पदों के वहीं अर्थ होंगे जो भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 में उनके लिए दिये गये हैं।

#### अध्याय-दो

## ः आयोग की स्थापना, उसके कृत्य और शक्तियाँ

3—(1) (क) राज्य में एक आयोग होगा जो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नाम से जाना जायेगा और वह इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का संपादन करेगा। आयोग का गठन

- (ख) केन्द्रीय अधिनियम की धारा 17 के अधीन स्थापित और गठित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन इस अधिनियम के अधीन गठित आयोग होगा और उसके अध्यक्ष और सदस्य इस रूप में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किये गये समझे जायंगे।
  - (2) आयोग एक निगमित निकाय होगा और इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा।
- (3) आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा निम्निलिखित अर्हता रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किये जायेंगे:—
  - (क) एक व्यक्ति जो अभियन्त्रण में स्नातक उपाधि के साथ विद्युत के उत्पादन, पारेषण या प्रदाय के क्षेत्र में कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखता हो और किसी राज्य विद्युत परिषद् या किसी अन्य उपयोगिता में मुख्य अभियन्ता या उसके समकक्ष किसी अन्य पद पर कम से कम दो वर्ष तक कार्य किया हो;
  - (ख) एक व्यक्ति जो स्नातक उपाधि के साथ प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखता हो और जिसने भारत सरकार के अपर सचिव का पद या उसके समकक्ष केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किया हो और जो सरकार के वित्त, ऊर्जा, उद्योग और वाणिज्य में से किसी एक या अधिक विभागों में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखता हो;
  - (ग) एक व्यक्ति जो अर्थशास्त्र, वाणिज्य, लेखा, विधि या प्रबन्ध में से किसी विधा में स्नातक उपाधि के साथ कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखता हो और जिसने किसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट में प्राचार्य के रूप में या कम्पनी अधिनियम्, 1956 की धारा 4-क के अधीन विनिर्दिष्ट किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अर्थान्तर्गत किसी अनुसूचित बैंक में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में या भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में या जिला जज के रूप में कार्य कियो हो या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो।
  - (4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक नियुक्ति धारा-4 के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुतियों पर की जायेगी।

(5) उपधारा (3) या उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, अध्यक्ष के

प्रतिबंध यह है कि संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बिना इस उपधारा के अधीन कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी।

- (6) अध्यक्ष, आयोग का मुख्य कार्यपालक होगा।
- (7) आयोग के कृत्यों का अनन्य रूप से निर्वहन करने के लिए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पूर्णकालिक नियुक्ति की जायगी और वे कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे या कोई अन्य
- (8) जहां अध्यक्ष अनुपस्थिति, अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो या अध्यक्ष का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाय वहाँ ज्येष्ठतम सदस्य तब तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि, यथास्थिति, अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः ग्रहण न कर ले या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त अध्यक्ष अपने पद का पदभार ग्रहण न कर ले।

स्पष्टीकरण:-किसी सदस्य की ज्येष्ठता उसके सदस्य के रूप में नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी। यदि दो सदस्य एक ही दिनांक को नियुक्त किये गये हों तो अधिक आयु का

(9) आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र किसी रिक्ति के विद्यमान होने या आयोग के गठन में किसी त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।

चयन समिति का गठन

- 4—(1) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक चयन समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:—
  - (क) कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो

अध्यक्ष

(ख) राज्य सरकार का मुख्य सचिव

सदस्य

(ग) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण या उसका नाम निर्देशिती जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सदस्य से निम्न स्तर का न हो

- (2) राज्य सरकार, मृत्यु, पदत्यांग या हटाये जाने के कारण किसी रिक्ति के होने से एक मास के भीतर, और अध्यक्ष या अन्य सदस्य की अधिवर्षिता या पदावधि की समाप्ति से छः मास पूर्व, रिक्ति को भरे जाने के लिए चयन समिति को सन्दर्भित करेगी।
- (3) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चयन करते समय, चयन समिति, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के सेवा अभिलेख, योग्यता, सत्यनिष्ठा, चरित्र, अर्हता और अनुभव का सम्यक् ध्यान रखेगी।
- (4) चयन समिति, उसे संदर्भित किये जाने के दिनांक से दो मास के भीतर सदस्यों का चयन पूरा करेगी।
  - (5) चयन समिति, उसे निर्दिष्ट प्रत्येक रिक्ति के लिए दो नामों के पैनेल की संस्तुति करेगी।
- (6) कोई व्यक्ति जिसका चयन आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में विचाराधीन हो, चयन समिति को निम्नलिखित के बारे में अधिसूचित करेगा:-
  - (क) किसी ऐसे पद, सेवायोजन या परामर्शदात्री करार या समझौता के बारे में जो सम्बन्धित व्यक्ति या उसके संबंधी को स्वयं के नाम से हो या जो उनमें से किसी के स्वामित्वाधीन या अन्यथा नियंत्रणाधीन किसी फर्म, व्यक्तियों के संघ या निगमित निकाय में हो, जो निम्नलिखित में से कोई कारबार कर रहा हो:
    - (एक) विद्युत उत्पादन, पारेषणं, वितरण या प्रदाय;
    - (दो) विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन का निर्माण, विक्रय या उसकी आपूर्ति;

. Alm End. 和国

- (चार) उपर्युक्त खण्ड (एक), (दो) और (तीन) में निर्दिष्ट कारवार में से किसी को व्यावसायिक सेवा प्रदान कर रही कोई इकाई;
- (ख) ऐसे अन्य ब्यौरे और सूचनाएं जो नियमों में या चयन समिति द्वारा विहित किये जायं।
- (7) सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति का चयन और संस्तुति करते समय उपधारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त ब्योरों को चयन समिति के विचारार्थ रखा जायेगा।
- (8) आयोग का प्रत्येक सदस्य, अपनी नियुक्ति की शर्त के रूप में पदभार ग्रहण करने के पूर्व, उपधारा (6) में उल्लिखित कारबार में हितों से स्वयं को अलग कर लेगा।
- (9) यदि, आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति किया जाने वाला कोई व्यक्ति, राज्य या केन्द्र सरकार या किसी पिक्तिक सेक्टर कार्पोरेशन या किसी सरकारी निकाय के अधीन कोई पद धारण करता हो, या किसी अन्य व्यक्ति, सरकारी प्राधिकरण, पिक्तिक या प्राइवेट सेक्टर द्वारा लाभकारी रूप में सेवायोजित हो, अन्यथा सेवा में लगाया गया हो तो वह आयोग में पदभार ग्रहण करने के पूर्व उस सेवा से अपना त्याग-पत्र दे देगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लें लेगा।
- (10) कोई व्यक्ति जितने समय तक सदस्य का पद धारण करता हो और किसी भी कारण से सदस्य न रह जाने के पश्चात् दो वर्ष की अवधि पर्यन्त, उपधारा (6) में उल्लिखित किसी कारवार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई पद, सेवायोजन या परामर्श व्यवस्था या कोई वित्तीय हित अर्जित या धारण नहीं करेगा या उसे बनाये नहीं रखेगा, और यदि वह अस्वैच्छिक रूप से या उत्तराधिकार या वसीयत के द्वारा ऐसा कोई हित प्राप्त करता हो तो वह ऐसा हित प्राप्त करने के तीन मास की अवधि के भीतर स्वयं को ऐसे हित से अलग कर लेगा।

स्पष्टीकरण: — इस धारा के प्रयोजनार्थ किसी सदस्य को किसी कारबार में वित्तीय हित धारणकर्ता के रूप में नहीं माना जायेगा यदि वह सदस्य किसी सार्वजनिक कम्पनी में निर्गत अंश पूंजी के दो प्रतिशत से कम अंश का अंशधारक है।

- (11) चयन समिति किसी व्यक्ति की संस्तुति करने के पूर्व अपना समाधान कर लेगी कि ऐसे व्यक्ति का उपधारा (6) में निर्दिष्ट ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे कि सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
  - (12) चयन समिति के सभी विनिश्चय बहुमत द्वारा होंगे।
- ्(13) अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।
- 5—(1) अध्यक्ष या अन्य सदस्य अपना पद धारण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह् पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

सदस्यों की पदायधि और सेवा की शर्ते

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष से भिन्न कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए सदस्य के रूप में अपनी पदावधि के अवशिष्ट अवधि के लिये पात्र होगा।

- (2) कोई सदस्य, किसी भी समय राज्यपाल को कम से कम तीन मास की लिखित नोटिस देकर अपना पद त्याग सकता है या उसे धारा 7 के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकता है।
- (3) अध्यक्ष, राज्यपाल के समक्ष, एवं प्रत्येक अन्य सदस्य अध्यक्ष के समक्ष, अपना पद पहण करने से पहले ऐसे प्रपत्र में जैसा विहित किया जाय, पद और गोपनीयता की शपथ तेगा और पितिज्ञान करना।

- (4) सदस्यों को देय वेतन और भले और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाय।
- (5) सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्ती में उनके लिये अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा!
  - (6) कोई सदस्य इस रूप में पद पर न रह जाने पर :--
  - (क) ऐसे पद पर न रह जाने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य-सरकार के अधीन अग्रतर सेवायोजन के लिए अनर्ह होगा;
  - (ख) ऐसे पद पर न रह जाने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए कोई वाणिज्यिक सेवायोजन स्वीकार नहीं करेगा; और
  - (ग) आयोग के समक्ष किसी भी रीति में किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। स्पष्टीकरण:-इस उपधारा के प्रयोजनार्थ-
  - (एक) ''राज्य सरकार के अधीन सेवायोजन'' में भारत की सीमाओं के भीतर राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या समिति के अधीन सेवायोजन सम्मिलित है।
  - ं (दों) ''वाणिज्यिक सेवायोजन'' का तात्पर्य विद्युत उद्योग में वाणिज्यिक, औद्योगिक या वित्तीय कारबार में लगे हुए व्यक्ति के या उसके अभिकरण के अधीन किसी भी हैसियत में सेवायोजन से है और इसमें किसी कम्पनी का निदेशक या फर्म का भागीदार भी सम्पिलित है और इसमें स्वतन्त्र रूप से किसी फर्म के भागीदार के रूप में या परामर्शी के रूप में या परामर्शदाता के रूप में व्यवसाय करना भी सम्मिलित है।

सदस्य होने के लिए अनर्हता

- 6—कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त कियें जाने के लिए अनई होगा, यदि वह,-
  - (क) दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया हो; या
  - (ख) शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो गया हो; या
- (ग) किसी अपराध के लिए जिसमें, नैतिक अक्षमता अन्तर्ग्रस्त हो, सिद्धदोष और कारावास से दंडित किया गया हो; या
- (घं) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो जिससे कि सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; या
- (ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो; या
- (च) संसद, राज्य विधान मण्डल या किसी स्थानीय प्राधिकारी का कोई सदस्य हो या निर्वाचन के लिए प्रत्याशी हो; या
  - (छ) किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो या उसमें कोई पद धारण करता हो।

सदस्य का हटाया जाना

- 7—(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, किसी सदस्य को सिद्ध कदाचार के आधार पर तभी हटाया जायेगा जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश ने, राज्य सरकार द्वारा संदर्भित किये जाने पर, इस निमित्त मुख्य न्यायाधीश या ऐसे न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात् यह रिपोर्ट दे दी हो कि ऐसे किसी आधार पर सदस्य को हटा दिया जाना चाहिए।
- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी यदि उसने धारा 6 में उल्लिखित कोई अनर्हता उपगत किया हो।
- (3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी सदस्य को उसके पद से धारा 6 के खण्ड (ख), खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधार पर तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश ने, रांज्य सरकार द्वारा सन्दर्भित किये जाने पर, इस निमित्त मुख्य न्यायाधीश या ऐसे न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात् यह रिपोर्ट न दे दी हो कि ऐसे आधार या आधारों पर सदस्य को हटा दिया जाना चाहिए।

- (4) राज्य सरकार यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के अनुसार कार्य करेगी और राज्य सरकार का अन्तिम विनिश्चय ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर सम्बन्धित सदस्य को संसूचित किया जायेगा।
- 8—(1) आयोग, अध्यक्ष के नियंत्रण में ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करने के लिए जैसी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायं, एक सचिव को नियुक्त कर सकेगा।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द

> आयोग की कार्यवाहियां

- (2) आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से आयोग की, उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति और श्रेणी अवधारित कर सकेगा और उनकी नियुक्ति करेगा।
- (3) सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार के परामर्श से विनियम द्वारा अवधारित की जायं।
- (4) आयोग, विनियम द्वारा, अवधारित निबंधन और शर्ती पर ऐसे परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकेगा जो आयोग को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित हो।
- 9—(1) आयोग सामान्यतया प्रत्येक पक्ष में एक बार राज्य के भीतर ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जैसा अध्यक्ष उचित समझे :

प्रतिबंध यह है कि कोई बैठक पहले भी बुलाई जायेगी यदि किसी सदस्य द्वारा इसके लिए अनुरोध किया जाय।

- (2) आयोग के समक्ष आने वाले सभी मामले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे और आयोग के सभी विनिश्चय, निदेश और आदेश, कारण से समर्थित लिखित रूप में होंगे और किसी भी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे और उनकी प्रतियां भी ऐसी रीति से जैसी आयोग अवधारित करे, उपलब्ध कराई जायंगी।
- (3) आयोग की किसी बैठक की गणपूर्ति दो सदस्यों से होगी, किन्तु किसी विषय पर यदि उनमें कोई मतभेद हो तो मामले को अगली बैठक में रखा जायगा

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ आयोग में कोई रिक्ति हो या बैठक में केवल दो सदस्य उपस्थित हों तो बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

- (4) आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगा।
- (5) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

10--आयोग के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात्,-

आयोग के कृत्य

- (क) यथास्थिति, थोक, वृहद, ग्रिड या फुटकर विद्युत के लिए टैरिफ अवधारित करना;
  - (ख) पारेषण सुविधाओं के प्रयोग के लिए देय टैरिफ अवधारित करना;
- (ग) पारेषण उपयोगिताओं और वितरण उपयोगिताओं की विद्युत क्रय और उपापन प्रिक्रिया को, जिसमें वह मूल्य सम्मिलित है जिस पर उत्पादक कम्पनियों, उत्पादन केन्द्रों या अन्य स्रोतों से राज्य में पारेषण, विक्रय, वितरण या प्रदीय के लिए विद्युत उपाप्त किया जायेगा, विनियमित करना;
- (घ) इस अधिनियम के उद्देश्यों ओर प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए विद्युत उद्योग के क्रियाकलापों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययिता की अभिवृद्धि करना;
- (ङ) राज्य के भीतर कार्य कर रही इकाइयों को विद्युत के पारेषण, वितरण या प्रदाय के लिए निवेश-अनुमोदन का विनियमन करना;
- (च) राज्य में विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और प्रदाय से सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकार को सहायता और सलाह देना;
- (छ) विद्युत के पारेषण, वितरण या प्रदाय के लिए लाइसेंस देना और लाइसेंस की शर्ते अवधारित कराना;
- (ज) लाइसेंसधारियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के जिन्हें राज्य में विद्युत उद्योग में लगे रहने के लिए प्राधिकृत किया गया है या अनुमित दी गई है, कार्य को विनियमित करना और उनके कार्य को दक्ष, मितव्ययी और साम्यापूर्ण बनाना;

- (झ) विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, प्रदाय या उपयोग और सेवा की गुणवत्ता की अभिवृद्धि के लिये लाइसेंसधारियों से योजना और स्कीम बनाने की अपेक्षा करना और विद्युत के उचित क्रय और उपापन प्रक्रिया का उपाय करना;
- (ञ) राज्य में विद्युत उद्योग के लिए मानक जिसमें सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता संबंधी मानक भी सम्मिलित है, निश्चित करना;
- (ट) राज्य में विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा की अभिवृद्धि करना और निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए अवसर प्रदान करना और उपभोक्ताओं के लिए उचित व्यवहार भी सुनिश्चित करना;
  - (ठ) सुरक्षा मानक निर्धारित करना और उन्हें प्रवृत्त करना;
- (इ) राज्य के लिए विद्युत नीति के निर्माण में राज्य सरकार को सहायता और सलाह देनाः
- (ढ) विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण या उपयोग के संबंध में सूचना एकत्रित करना और अभिलिखित करना;
- (ण) राज्य में विद्युत की मांग और उसके उपयोग पर आंकड़ा और पूर्वानुमान एकत्रित करना और उन्हें प्रकाशित करना और ऐसे आंकड़े को एकत्रित और प्रकाशित करने के लिए लाइसेंसधारियों से अपेक्षा करना;
- (त) राज्य में विद्युत उद्योग से संबंधित आस्तियों, सम्पत्तियों और सम्पत्तियों में हित को इस प्रकार विनियमित करना जिससे लोक हित की रक्षा हो सके;
- (य) किसी लाइसेंसधारी और जपायोगिता के मध्य विवादों और मतभेदों का न्यायनिर्णयन करना या उसे माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट करना;
- (द) राज्य में विद्युत क्षेत्र के पर्यावरण संबंधी समुचित विनियमन के लिए नीति और प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु पर्यावरण संबंधी नियामक अभिकरणों के साथ समन्व्य करना;
- (ध) सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले में राज्य सरकार को सहायता और

आयोग की शाक्तियाँ

- 11—(1) इस अधिनियम के अधीन अपने न्यायनिर्णयन संबंधी कृत्यों का संपादन करते समय, आयोग को, किसी वाद के विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियाँ निम्नलिखित मामलों के संबंध में प्राप्त होंगी, अर्थात्,-
  - (क) किसी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने;
    - (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करने;
    - (ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने;
  - (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वज़निक अभिलेख या उसकी प्रति की अधियाचन करने;
    - (ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिये कमीशन जारी करने; और (च) किसी अन्य विषय में जो विहित किया जाय।
  - (2) आयोग को किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने की शक्ति होगी कि वह,-
  - (क) ऐसी बहियों, लेखों या अन्य दस्तावेजों को जो उसकी अभिरक्षा में या उसके नियंत्रणाधीन हों और जो अधियाचन में विनिर्दिष्ट या वर्णित किये गये हों और जो ऐसे दस्तावेज हों जो विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण या प्रदाय या उपयोग से सम्बन्धित किसी मामले, उपर्युक्त क्षेत्रों में अन्तर्ग्रस्त किसी उपक्रम के कृत्यों और अन्य मामलों के संबंध में हो, और जिनका परीक्षण इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा अपेक्षित हो, को उसके समक्ष पेश करे और इस निमित्त विनिर्दिष्ट आयोग के किसी अधिकारी द्वारा उनका परीक्षण किये जाने या उन्हें लिए जाने की अनुमति दे; और

- (ख) इस प्रकार विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी को, ऐसी सूचना जो, उसके पास, उसकी पहुंच या नियंत्रण में हो और जिसे इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा अपेक्षित किया जाय, प्रस्तुत करे।
- (3) जहां आयोग को, इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही के दौरान यह विश्वास करने का आधार हो कि किसी इकाई या व्यक्ति की, जिससे ऐसी जांच या कार्यवाही सम्बन्धित हो, या उससे सम्बन्धित, किन्हीं बहियों या दस्तावेजों को, या जिन्हें ऐसी जांच या कार्यवाही में पेश करने के लिए ऐसी इकाई के स्वामी से अपेक्षा की गई हो, नष्ट, विकृत, परिवर्तित, मिथ्याकृत किया जा रहा है या किया जा सकता है या गुप्त रखा जा रहा है या रखा जा सकता है, तो आयोग लिखित आदेश द्वारा आयोग के किसी अधिकारी को प्रवेश करने, तलाशी लेने और अभिग्रहण करने की वही शक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 240 और धारा 240-क के अधीन किसी निरीक्षक द्वारा प्रयोग की जा सकती हो, प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।
- (4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी उत्पादन कम्पनी या किसी लाइसेंसधारी सहित किसी व्यक्ति से विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण या प्रदाय या उपयोग के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति द्वारा किये जा रहे क्रियाकलापों से सम्बन्धित, या संगठन, कारबार या विद्युत उत्पादन लागत से सम्बन्धित सूचना सहित ऐसे व्यक्ति और किसी अन्य व्यक्ति या उपक्रम के बीच सम्बन्ध के बारे में, कोई सूचना नियतकालिक रूप से देने की अपेक्षा कर सकेगा ताकि आयोग इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन कर सके।
- (5) आयोग, अपने कृत्यों के निर्वहन में, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से, जो आयोग के विनिश्चय द्वारा प्रभावित होते हों या जिनके प्रभावित होने की संभावना हो, परामर्श कर सकेगा।
- (6) आयोग किसी भी समय, किसी विद्युत कम्पनी या लाइसेंसधारी सिहत किसी व्यक्ति से कोई सूचना, ब्यौरा, वहीं, लेखा और अन्य दस्तावेज मंगा सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा और उसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को यदि उनके द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसी अपेक्षा की जाय, उपलब्ध करायेगा।
- (7) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई नोटिस जारी की जा सकती हो, ऐसी सूचना, ब्यौरा, बही, लेखा और अन्य दस्तावेज, जैसी आयोग द्वारा ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय, प्रस्तुत करेगा।
- (8) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 12 से 16 और धारा 18 और 19 में किसी बात के होते हुए भी, आयोग, लिखित आदेश द्वारा, विद्युत के पारेषण, वितरण या प्रदाय के लिए विद्युत प्रदाय लाइनों, साधित्रों और संयंत्रों को लगाने के लिए या कार्य के उचित समन्वय के लिए आवश्यक दूरभाषीय या तार सम्बन्धी संसूचना के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी लाइसेंसधारी या विद्युत के पारेषण, वितरण या प्रदाय के कारबार में लगे किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसी शर्तों एवं प्रतिबंधों के, जैसा आयोग उचित समझे, अध्यधीन रहते हुए, ऐसी कोई शक्ति जो केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या इस प्रकार स्थापित या अनुरक्षित किये जाने वाले तारयन्त्र के प्रयोजनों के लिए तार लाइनों और पोस्ट को लगाने के सम्बन्ध में, भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन तार प्राधिकारी रखता हो, प्रदान कर सकेगा।

#### अध्याय तीन

#### राज्य सरकार की शक्तियाँ

12—(1) राज्य सरकार, समय-समय पर विद्युत के सम्बन्ध में किसी नीतिगत मामले पर ऐसे निर्देश जो इस अधिनियम से असंगत न हों, जारी कर सकेगी और यदि आयोग और राज्य सरकार के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है कि कोई प्रश्न नीतिगत है या नहीं तो उसे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय उस पर अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

राज्य सरकार की शक्तियाँ

(2) (क) टैरिफ को विनियमित और अनुमोदित करते समय आयोग द्वारा समायोजित सहायिकी के अतिरिक्त, राज्य सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग या वर्गों को, या किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में, विद्युत के प्रदाय के लिए सहायिकी देने के सम्बन्ध में नीति विषयक निदेश जारी करने की हैकदार होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सहायिकी दिये जाने से प्रभावित लाइसेंसधारी या व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए ऐसी धनराशि अभिदाय करेगी जो दी गयी सहायिकी के बराबर होगी।

(ख) खण्ड (क) के अधीन भुगतान की जाने वाली सहायिकी की धनराशि और भुगतान की विधि और रीति, और सम्य, जिसके भीतर ऐसी धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा और आयोग ऐसी धनराशि की संगणना विनियम में

#### अध्याय चार

# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का बनाया जाना और उसके कृत्य

13—(1) राज्य सरकार् द्वारा, विद्युत् के उपापन, पारेषण और प्रदाय के प्रयोजन् के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशीघ्र कम्पनी अधिनियम्, 1956 के अधीन उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड नाम से एक कम्पनी दनायी जायगी और रजिस्ट्रीकृत करायी जायगी।

(2) पावर कारपोरेशन पारेषण के सम्बन्ध में योजना और समन्वय का जिम्मा लेगा और उत्पादन कम्पनियों, राज्य सरकार, समीपस्थ राज्यों, आयोग, क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से राज्य में विद्युत की आवश्यकताओं का

## (3) पावर कारपोरेशन,---

- (क) आयोग द्वारा लाइसेंस दिये जाने तक, राज्य के भीतर विद्युत के पारेषणं और प्रदाय के लिये अनन्तिम लाइसेंसधारी होगा;
  - (ख) पारेषण प्रणाली प्रचालन के लिये उत्तरदायी होगा;
- (ग) ऐसे समस्त विद्युत क्रय और पारेषण करारों के सम्बन्ध में जिसे परिषद् द्वारा केन्द्र सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन कम्पनियों सहित उत्पादन और पारेषण कम्पनियों के साथ किया गया है, का विधिक उत्तराधिकारी होगा; और
  - (घ) ऐसे अन्य कृत्यों का, जैसा लाइसेंस के अधीन अपेक्षित हो, जिम्मा लेगा।
- (4) धारा 15 के अधीन पावर कारपोरेशन को लाइसेंस दिये जाने पर भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन पावर कारपोरेशन को परिषद् की ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और वह परिषद् के ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जैसा लाइसेंस में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।
- (5) आयोग, पावर कारपोरेशन के परामर्श से पावर कारपोरेशन की किसी सहायक कम्पनी को भी लाइसेंस दे सकेगा।

## अध्याय प्रांच

पारेषण और प्रदाय का लाइसेंस दिया जाना

लाइसेंस दिया जाना

वह,\_

14--(1) कोई व्यक्ति विद्युत कें पारेषण या प्रदाय का कारबार नहीं करेगा जब तक कि

- (क) कोई लाइसेंस न धारण करता हो; या
- (ख) धारा 16 के अधीन लाइसेंस की अपेक्षा से मुक्त न कर दिया गया हो; या
- (ग) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 या विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के 🗻 अधीन इस प्रकार प्राधिकृत न कर दिया गया हो।
- (2) जहां यह विवाद उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन विद्युत के पारेषण या प्रदाय के कारबार में लगा है या नहीं वहाँ ऐसे मामले को आयोग को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा।
- (3) आयोग को यह आदेश देने की शक्ति होगी कि ऐसा व्यक्ति जो लाइसेंसधारी नहीं है, प्रचालन बन्द कर दे और अपने साधित्र को विच्छेदित कर दे।

15—(1) आयोग, ऐसे प्रपत्र में आवेदन दिये जाने पर और ऐसी फीस के भुगतान पर जैसा विनियमों में उपबन्धित हो, लाइसेंस दे कर किसी व्यक्ति को यथास्थिति पारेषण या प्रदाय के किसी क्षेत्र में या दोनों के क्षेत्र में विद्युत के पारेषण या प्रदाय के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

आयोग द्वारा लाइसेंस दिया जाना

- (2) उपधारा (1) के अधीन लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे :---
  - (क) किसी लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति अपने आवेदन-पत्र की नोटिस, आवेदन-पत्र देने के पश्चात् चौदह दिन के भीतर ऐसी रीति से और ऐसी विशिष्टियों के साथ जैसी विनियमां में उपवन्धित हो, प्रकाशित करायेगा।
    - (ख) आयोग तब तक कोई लाइसेंस नहीं देगा जब तक कि,—
    - (एक) खण्ड (क) में निर्दिष्ट नोटिंस अन्ततः प्रकाशन के दिनांक से तीन मास के भीतर प्राप्त हुयी आपित्तयों पर, यदि कोई हों, आयोग द्वारा विचार न कर लिया गया हो:
    - (दो) किसी क्षेत्र में जिसमें किसी छावनी, हवाई अङ्डे, दुर्ग, आयुधशाला या कैप या रक्षा प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार के अध्यासन में किसी भवन या स्थान का सम्पूर्ण या कोई भाग भी सम्मिलित है, में विद्युत के प्रदाय या पारेषण के लाइसेंस के लिए किसी आवेदन-पत्र के मामले में यह सुनिश्चित न कर लिया गया हो कि वहां केन्द्र सरकार की ओर से लाइसेंस दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है;
  - (ग) जहां किसी स्थानीय प्राधिकारी से कोई आपित प्राप्त होती है वहां आयोग, यदि उसकी राय में आपित अपर्याप्त है, ऐसी राय के लिए कारण अभिलिखित करेगा और उसे ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को संसूचित करेगा; और
  - (घ) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस के लिए कोई आवेदन ऐसे प्राधिकारी की किसी ऐसी बैठक में, जो ऐसी किसी नोटिस, जिसमें बैठक के प्रयोजनों को विनिर्दिष्ट करते हुए ऐसी रीति से दी गई हो जिससे सामान्यतया ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की बैठकों के लिए नोटिसें दी जाती हों, दिये जाने के पश्चात् आयोजित हुई हो, पारित प्रस्ताव के अनुसरण में दिये जाने के सिवाय, नहीं दिया जायगा।
- (3) उपधारा (2) के खण्ड (क), खण्ड(ख) का उपखण्ड (एक) और खण्ड (ग) के उपबन्ध पावर कारपोरेशन पर लागू नहीं होंगे।
- (4) किसी लाइसेंस में ऐसी सीमा जहां तक और ऐसे निबंधन और शर्ते जिनके अधीन, विद्युत का पारेषण या प्रदाय किया जाना हो, विहित की जायंगी और उसमें ऐसी अन्य शर्तें भी होंगी जिन्हें आयोग इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए उचित समझे।
- (5) उपधारा (4) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लाइसेंस की शर्तों में लाइसेंसधारी से अपेक्षा की जा सकेगी कि वह,---
  - (क) किसी विद्युत लाइन, विद्युत संयंत्र और सहयुक्त उपस्कर के जो लाइसेंसधारी द्वारा प्रचालित हो, उपयोग के लिए किसी अन्य व्यक्ति से विनिर्दिष्ट शर्ती पर करार करे;
    - (ख) आयोग द्वारा दिये गये किसी निर्देश का अनुपालन करे;
  - (ग) लाइसेंस के अधीन उत्पन्न होने वाले समस्त विवादों को आयोग या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी मध्यस्य द्वारा अवधारित किये जाने के लिए निर्दिष्ट करे;
    - (घ) ऐसी सूचना, दस्तावंज और ब्योरे जिनकी आयोग अपेक्षा करे, उपलब्ध कराये;
  - (ङ) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 और तद्धीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं का जहाँ तक वे लागू हों, अनुपालन करें;
  - (च) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन बोर्ड के ऐसे कृत्यों और बाध्यताओं का, जैसा आयोग विनिर्दिष्ट करे, जिम्मा ले,

- (छ) किसी ऐसी स्कीम को जिसे प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित हो और जिसमें विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन की स्कीमें भी सम्मिलित हैं, आयोग को अधिसूचित करे;
- (ज) आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शन सिद्धान्त, यदि कोई हों, के अनुसार मितव्ययी ढंग से बिजली क्रय करेगा;
  - (झ) किसी उपभोक्ता या किसी अन्य लाइसेंसधारी को विद्युत का प्रदाय करेगा;
- (ञ) आयोग के निदेशों के अनुसार समय-समय पर टैरिफ नियत करेगा या उसके प्रभारों की गणना करेगा; और
  - (ट) आयोग द्वारा यथा अपेक्षित फीस और प्रभारों का भुगतान करेगा।
- (6) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की अनुसूची में अन्तर्विष्ट उपबन्ध इस अध्याय के अधीन दिये गये प्रत्येक लाइसेंस के साथ सम्मिलित समझे जायेंगे और वे उसके भाग बन जायेंगे सिवाय जहां तक कि लाइसेंस द्वारा उन्हें अभिव्यक्त रूप से परिवर्तित या अपवादित किया गया हो और इस अधिनियम के प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए ऐसे परिवर्धनों, परिवर्तनों या अपवादों के अध्यधीन रहते हुए जिन्हें करने के लिए आयोग सशक्त हो, उत्तर प्रदेश में अपने क्रियाकलापों के सम्बन्ध में लाइसेंस द्वारा प्राधिकृत उपक्रम पर लागू होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी लाइसेंसधारी द्वारा अन्य लाइसेंसधारियों को उनके द्वारा वितरण के लिए विद्युत के प्रदाय का लाइसेंस दिया गया हो, वहां उक्त अनुसूची के खण्ड चार, पांच, छह, सात, आठ और बारह के उपबन्ध, जहां तक ऐसे लाइसेंस का ऐसे प्रदाय से सम्बन्ध है, लाइसेंस में सम्मिलित नहीं समझे जायेंगे।

- (7) किसी लाइसेंस में सम्मिलित शर्तों में किसी शर्त के ऐसे समय पर, ऐसी रीति से और ऐसी परिस्थितियों में जैसी कि उसमें विनिर्दिष्ट की जायं, प्रवर्तन में न रह जाने या उसे उपान्तरित किये जाने का उपबन्ध समाविष्ट किया जा सकेगा।
- (8) किसी लाइसेंस में उपधारा (7) के अधीन सम्मिलित कोई उपबन्ध धारा 18 की उपधारा (5) और धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन बनाये गये उपबन्धों के साथ-साथ प्रभावी होगा।
- (9) इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को कोई लाइसेंस दिया जाना उसी क्षेत्र के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस दिये जाने को वर्जित नहीं करेगा।
- (10) लाइसेंस में यह व्यवस्था की जा सकेगी कि राजस्व वसूली, विद्युत चोरी के लिए अभियोजन, मीटर से छेड़छाड़, विद्युत का अपयोजन और विद्युत के वितरण और प्रदाय को प्रभावित करने वाले किसी अन्य मामले के लिए लाइसेंसी को समुचित कार्यवाही करने की शक्ति और प्राधिकार होगा।
- (11) आयोग लाइसेंसधारी और अन्य व्यक्तियों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जैसा भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 या विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के अधीन लाइसेंसधारियों और अन्य व्यक्तियों को दिये जा सकते हैं।

16—(1) आयोग, लाइसेंस की अपेक्षाओं से ऐसे निबन्धन और शर्तों के अधीन जैसी विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाय, छूट प्रदान कर सकेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि आयोग सिवाय निम्नलिखित की सहमति के इस उपधारा के अधीन कोई छूट नहीं देगा :-

- (एक) ऐसे मामले में, जहां विद्युत प्रदाय ऐसे किसी क्षेत्र में किया जाना हो जो किसी छावनी, हवाई अड्डा, दुर्ग, आयुधशाला या कैम्प का भाग हो या ऐसे किसी भवन या स्थान में जो रक्षा प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के अध्यासन में हो, वहां केन्द्र सरकार की;
- (दों) ऐसे मामले में, जहां विद्युत प्रदाय ऐसे किसी क्षेत्र में किया जाना हो जो किसी लाइसेंसधारी के प्रदाय के क्षेत्र में आता हो वहां उस लाइसेंसधारी की:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम परन्तुक के खण्ड (एक) के अधीन किसी मामले के सिवाय ऐसी सहमति आवश्यक नहीं होगी यदि आयोग का समाधान हो जाय कि ऐसी सहमति अयुक्तियुक्त रूप से रोकी गई है।

लाइसेंस से छूट

- (2) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को एक निश्चित अविध के लिए छूट प्रदान की जा सकेगी और ऐसी प्रत्येक छूट सर्वसाधारण की सूचना के लिए सम्बन्धित क्षेत्र में व्यापक परिचालन वाले कम से कम दो समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जायगी।
- (3) आयोग, इस धारा के अधीन प्रदान की गई छूट को, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे किसी भी समय प्रतिसंहत कर सकेगा।
- 17—(1) यथास्थिति, पारेषण या प्रदाय के क्षेत्र के सम्बन्ध में पारेषण या प्रदाय के लाइसेंसधारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विद्युत पारेषण या प्रदाय की दक्ष, समन्वित और मितव्ययी प्रणाली का विकास और अनुरक्षण करे।

लाइसेंसधारी के कर्तव्य और शक्तियां

- (2) प्रत्येक लाइसेंसघारी और उत्पादन कम्पनी विद्युत प्रणाली और विद्युत प्रदाय लाइनों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए निवन्धन और शर्तों को शासित करने वाले समय-समय पर वनाये गये विनियमों के उपवन्धों का अनुपालन करेगा।
- (3) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 12 से 19 किसी लाइसेंसधारी के सम्बन्ध में प्रभावी होंगी मानो वह उक्त अधिनियम के अधीन लाइसेंसधारी हो:

प्रतिबन्ध यह है कि आयोग ऐसे निबन्धनों, अपवादों और शर्टों को, जिन्हें वह उचित समझे, आरोपित कर सकेगा।

- (4) कोई लाइसेंसधारी जब तक कि उसे लाइसेंस द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रतिषिद्ध न कर दिया जाय, निम्नलिखित से विद्युत के क्रय के लिए व्यवस्था कर सकेगा :--
- (क) किसी ऐसे प्रदाय लाइसेंस को धारक से, ऐसे मामले में जहां ऐसा लाइसेंस ऐसे धारक को अन्य लाइसेंसधारियों को उनके द्वारा वितरण करने के लिए अनुजा देता हो; या
  - (ख) आयोग की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति या उत्पादन कम्पनी से।
- 18—(1) आयोग, किसी लाइसेंसधारी के कृत्यों की जो इस अधिनियम के अधीन उसकी बाध्यताओं के सम्बन्ध में हैं निम्निलिखित परिस्थितियों में जांच कर सकेगा, अर्थात् :-

लाइसेंस का प्रतिसंहरण

- (क) किसी उपभोक्ता या उपभोक्ता संघ या किसी व्यापार संघ से किसी शिकायत के
- (ख) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, केन्द्रीय विधुत नियामक आयोग या केन्द्रीय विद्युत प्राप्त होने पर; या प्राधिकरण द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाने पर; या
- (ग) विद्युत के उत्पादन, परिषण, वितरण या प्रदाय में लगे किसी व्यक्ति से शिकायत
- (घ) उसकी स्वयं की जानकारी या सूचना पर कि लाइसेंसधारी ऐसी बाध्यताओं के प्राप्त होने पर; या सम्पादन में कोई चूक कर रहा है या किया है।
- (2) आयोग निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर लाइसेंस को प्रतिसंहृत कर सकेगा, अर्थात्:---

)

ग

गई

त्सी

गन

हसी

,मले ऐसी

- (क) यह कि ताइसेंसधारी ने इस अधिनियम, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 या विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 द्वारा या उसके अधीन किये जाने के लिये अपेक्षित किसी कार्य की करने में जान-वृझकर कोई चूक की है;
- (ख) यह कि लाइसेंसधारी ने लाइसेंस के किन्ही ऐसे निवन्धनों और शर्तों को भंग किया है जिसके सम्बन्ध में लाइसेंस में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया हो कि ऐसे भंग से लाइसेंस का प्रतिसंहरण होगा।
- (ग) यह कि लाइसेंसधारी, लाइसेंस में विनिर्दिष्ट अविध या आयोग द्वारा अनुज्ञात किसी दीर्घतर अवधि के भीतर यह दर्शित करने में कि यह लाइसेंस द्वारा उस पर आरोपित कर्तव्यों और वाध्यताओं को पूर्णरूप से और दक्षतापूर्वक निर्वहन करने की स्थिति में है, था लाइसेंस द्वारा अपेक्षित फीस या प्रभार का भुगतान करने या प्रतिभूति को जमा करने या देने की स्थिति में है, असफल रहा है;

- (घ) जहां आयोग की राय में लाइसेंसधारी की विलीय खिति ऐसी है कि वह लाइसेंस द्वारा उस पर आरोपित कर्राच्यों और बाध्यताओं को पूर्णस्वर से और दक्षतापूर्वक निर्वहन
- (3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के हुए भी, आयोग, लाइसेंसधारी के आवेदन पर या उसकी सहमति से, पारेषण या प्रदाय के क्षेत्र के पूर्ण या किसी भाग के सम्बन्ध में लाइसेंस को, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जैसा वह उचित समझे, प्रतिसंहृत कर सकेगा।
- (4) इस धारा के अधीन किसी लाइसेन्स का प्रतिसंहरण, लाइसेंसधारी को, उन आधारों का, जिन पर प्रतिसंहरण प्रस्तावित है, कथन करते हुए, कम से कम तीन मास की नोटिस देने के पश्चात् और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ही, किया जायगा।
- (5) जहां आयोग उपधारा (2) के अधीन किसी लाइसेंस को प्रतिसंहत कर सकता हो, वहां वह लाइसेंस को प्रतिसंहत करने के बजाय ऐसे अग्रतर निबन्धन और शर्तों के अध्यधीन रहते हुये जिन्हें वह आरोपित करना उचित समझे, उसे प्रवृत्त रहने की अनुज्ञा दे सकेगा और इस प्रकार अगरोपित कोई अग्रतर निबन्धन और शर्तें लाइसेंसधारी पर बाध्यकारी होंगी और लाइसेंसधारी द्वारा उनका पालन किया जायगा और उन्हें लाइसेंस में सम्मिलित किया गया समझा जायेगा।

लाइसेंस का संशोधन

19—(1) आयोग स्वप्रेरणा से या लाइसेंसधारी के आयेदन पर किसी लाइसेंस के निबन्धन और शर्तों में ऐसे परिवर्तन और संशोधन कर सकेगा जिन्हें वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई परिवर्तन या संशोधन लाइसेंसधारी की सहमित के बिना तब तक नहीं किया जायगा, जब तक कि आयोग की राय में ऐसी सहमित को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के विधारित न किया गया हो।

- (2) जहां लाइसेंसधारी ने उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया हो, वहां निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात् :—
  - (क) लाइसेंसधारी, आवेदन-पत्र की एक नोटिस, ऐसी रीति से और ऐसे विवरणों के साथ, जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाय, प्रकाशित करेगा:
  - (ख) आयोग तब तक कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं करेगा जब तक, नोटिस के अन्ततः प्रकाशन के दिनांक से तीन मास के भीतर प्राप्त सभी आपितयों पर विचार न कर
  - (ग) पारेषण या प्रदाय के किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें कोई छावनी, हवाई अड्डा, दुर्ग, आयुधशाला या कैम्प सम्पूर्णतः या उसका कोई भाग सम्पिलित हो, या किसी ऐसे भवन या स्थान में जो प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार के अध्यासन में हो, संशोधन प्रस्तावित करने वाले किसी आवेदन की दशा में आयाग, केन्द्र सरकार की सहमति के बिना, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं करेगा।
- (3) लाइसेंसधारी के आवेदन के बिना किसी लाइसेंस में कोई परिवर्तन या संशोधन करने से पूर्व, आयोग प्रस्तावित परिवर्तनों या संशोधनों को प्रकाशित करेगा और नोटिस के अन्ततः प्रकाशन के दिनांक से तीन मास के भीतर प्राप्त सभी आपित्तयों पर विचार करेगा।

लाइसेंस के प्रतिसंहरण के पश्चात् अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

- 20—(1) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 6 और 7 के उपबन्धों में किसी वात के होते हुये भी, जहां आयोग धारा 18 के अधीन किसी लाइसेंस को प्रतिसंहृत करने का विनिश्चय करे वहां निम्नतिखित उपवन्ध लागू होंगे, अर्थात् :-
  - (क) आयोग का विनिश्चय लाइसेंसधारी को संसूचित किया जायगा और विनिश्चय की ऐसी संसूचना पर लाइसेंस प्रतिसंहत हो जायगा
  - , (ख) आयोग, खण्ड (क) के अधीन लाइसेंस के प्रतिसंहरण की संसूचना देने के साथ-साथ विद्युत के पारेषण और प्रदाय का अनुरक्षण करने और उन्हें जारी रहने के प्रयोजनों के लिए लाइसेंसधारी के उपक्रम के सम्बन्ध में ऐसी अन्तरिम व्यवस्था करेगा, जैसा यह उचित समझे, जिसमें ऐसे उपक्रम के लिए किसी प्रशासक या प्रशासकों की नियुक्ति भी समिलित है, और ऐसे प्रशासक या प्रशासकों को अंतरिम लाइसेंसधारी समझा जायगा;

4시간 학자

- (ग) आयोग, व्यापक रूप से प्रचालित कम से कम दो समाचार-पत्रों में विज्ञापन द्वारा ऐसे व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगा जो उस लाइसेंसधारी के उपक्रम को जिसका लाइसेंस प्रतिसंहत किया गया है, क्रय करने का इरादा रखते हों, और धारा 15 के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक भी हों;
- (घ) आयोग, धारा 15 के अधीन लाइसेंस दिये जाने के प्रयोजनार्थ खण्ड (ग) के अधीन प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगा और उक्त उपक्रम के निस्तारण के लिए निबंधन और शर्तें भी अवधारित करेगा और वह लिखित नोटिस द्वारा, उस लाइसेंसधारी से, जिसका लाइसेंस प्रतिसंहत कर दिया गया हो, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपने उपक्रम का विक्रय उस व्यक्ति को करे जिसका आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और जिसे इस धारा में आगे केता कहा गया है; और
- (ङ) प्रतिसंहरण के दिनांक को और से, या, जहां इस अधिनियम के किन्हीं उपवन्धों के अनुसरण में लाइसेंसधारी का उपक्रम किसी क्रेता को पहले ही बेंच दिया गया हो, वहां ऐसे विक्रय के दिनांक को और से, इस अधिनियम के अधीन लाइसेंसधारी के सभी अधिकार, कर्तव्य, बाध्यतायें और दायित्व, उन दायित्वों को छोड़कर जो उस दिनांक तक प्रोद्भृत हुए हों, समाप्त हो जायेंगे।
- (2) जहां उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन किसी उपक्रम का विक्रय कर दिया गया हो, वहां क्रेता, आयोग द्वारा अवधारित ऐसी अवधि के मीतर जो तीन मास से अधिक नहीं होगी, लाइसेंसधारी को क्रय मूल्य का भुगतान करेगा।
- (3) जहां आयोग उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन उपक्रम का विक्रय करने के लिये लाइसेंसधारी से अपेक्षा करते हुये कोई नोटिस निर्गत करे वहां वह ऐसी नोटिस द्वारा उपक्रम को परिदल्त करने के लिये लाइसेंसधारी से अपेक्षा कर सकेगा और तब लाइसेंसधारी नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक को, उपक्रम के क्रय मूल्य का भुगतान लिम्बत रहते हुये, अभिहित क्रेता को उपक्रम परिदल्त करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि क्रेता उपक्रम को परिदत्त किये जाने के दिनांक से क्रयं मूल्य के भुगतान किये जाने तक की अवधि के लिए क्रय मूल्य पर भारतीय रिजर्व धैंक की उपक्रम के परिदान के समय प्रवृत्त उधार दर से अन्यून ऐसी दर से लाइसेंसधारी को ब्याज देगा, जैसी आयोग विनिश्चित करे।

- (4) जहां ऐसे किसी लाइसेंसधारी के, जिसका लाइसेंस प्रतिसंहृत कर दिया गया हो, उपक्रम का, किसी भी कारण से, उपधारा (1) के अधीन विक्रय न किया जा सकता हो, वहां राज्य सरकार उक्त उपक्रम का अधिग्रहण करेगी और उस लाइसेंसधारी को जिसका लाइसेंस प्रतिसंहृत कर दिया गया हो, उत्तर प्रदेश में यथाप्रयोज्य भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 7-क के अनुसार अवधारित धनराशि का भुगतान करेगी और जब तक राज्य सरकार उक्त उपक्रम का विक्रय किसी नये लाइसेंसधारी को नहीं कर देती तब तक वह लाइसेन्सधारी की सभी बाध्यताओं का निर्वहन करेगी।
- 21. (1) कोई लाइसेंसधारी या उत्पादन कम्पनी उत्पादन. पारेषण प्रदाय करने वाले या विद्युत के उत्पादन, पारेषण या प्रदाय का इरादा रखने वाले किसी अन्य लाइसेंसधारी या किसी अन्य व्यक्ति के लाइसेंस को या उसके उपक्रम को तब तक अधिगृहीत नहीं करेगा या उससे सहयुक्त नहीं होगा जब तक कि वह आवेदन करके आयोग की लिखित सहमति नहीं प्राप्त कर लेता है:

प्रतिबन्ध यह है कि आयोग इस धारा के अधीन सहमति देने के पूर्व ऐसे व्यक्ति या प्रिमिकारी की, सुनवाई करेगा जिसे वह उचित समझे।

- (2) आयोग, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन का निस्तारण, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के एक मास के भीतर संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी की आपत्ति, यदि कोई हो, पर विचार करने के पत्तात, करेगा।
- (3) लाइसेंसधारी, आयोग की लिखित पूर्व सहमित के बिना, विक्रय, दंधक, पट्टा, विनिमय भी या अन्यथा अपने लाइसेंस को समनुदेशित, या अपने उपक्रम या उसके किसी भाग का अंतरण,

ताइसेंसधारियों और उत्पादन कम्पनियों पर निर्वन्धन (4) ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर भारतीय विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा उपबन्ध प्रयोज्य हैं, उस धारा के अधीन बोर्ड के स्थान पर आयोग की सहमति प्राप्त करेगा।

#### लाइसेंसधारी के वार्षिक लेखे

22—प्रत्येक लाइसेंसधारी, जब तक उसे अभिव्यक्त रूप से लाइसेंस के अधीन छूट हो, अपने उपक्रम और प्रत्येक पृथक कारबार इकाई के लेखों का वार्षिक विवरण, ऐसे प्रारूप ऐसी विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करते हुये, जैसी लाइसेंस के अधीन अपेक्षा की गयी हो, प्रत्येक व दिनांक को या उससे पूर्व जैसा लाइसेंस में विनिर्दिष्ट किया जाय, तैयार करेगा और आयोग क और ऐसा विवरण सम्बन्धित क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित होने वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायगा।

#### अध्याय–छ:

## विद्युत उद्योग का पुनर्गठन

परिषद् की सम्पत्तियों, शक्तियों, कृत्यों; कर्तव्यों और कार्मिकों का अन्तरण

- 23—(1) इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिये राज्य सरकार द्वारा की गयी और अधिसूचित किसी अन्तरण स्कीम में विनिर्दिष्ट दिनांक को और से, जिसे आगे अधिनियम में नियत दिनांक कहा गया है, परिषद् की सभी सम्पत्तियों और उसके सभी हित, अधि और दायित्व राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे।
- (2) इस प्रकार अधिसूचित अन्तरण स्कीम के अनुसार, उपधारा (1) के अधीन राज्य सा में निहित सम्पत्तियाँ, हित, अधिकार और दायित्व, ऐसी स्कीम में यथाविनिर्दिष्ट राज्य सरकार की र सम्पत्ति, उसका हित, अधिकार और दायित्व सहित ऐसे निबन्धमों और शर्तों पर जैसी राज्य सर द्वारा अवधारित की जाय, पावर कार्पोरेशन या किसी उत्पादन कम्पनी में राज्य सरकार द्वारा पुनर्नि
- (3) इस अधिनियम के अध्याय-चार में पावर कारपोरेशन के यथा-विनिर्दिष्ट अधिकारों र शक्तियों के अतिरिक्त विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन परिषद् द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकार और शक्तियां, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, यथास्थिति, पा कारपोरेशन या उत्पादन कम्पनी द्वारा 1948 के उक्त अधिनियम के अधीन कृत्यों का सम्पादन क और कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये प्रयोक्तव्य होंगी।
- (4) राज्य सरकार, उत्पादन कम्पनी या पायर कारपोरेशन से, जिसे आगे इस धारा में अन्तर कहा गया है, परामर्श करने के पश्चात्, किसी व्यक्ति में, जिसे आगे इस धारा में अन्तरिती कहा ग है, किन्हीं कृत्यों, जिसमें वितरण कृत्य भी है, सम्पत्ति, हित, अधिकार या दायित्व को, जो इस धारा अधीन अन्तरक में निहित किये जा सकते हों, निहित करने के लिये अन्तरण स्कीम तैयार करने अं उसे इस अधिनियम के अधीन परिनियत अन्तरण स्कीम के रूप में अधिसूचित करने की अन्तरक अपेक्षा कर सकेगी। इस उपधारा के अधीन अधिसूचित की जाने वाली अन्तरण स्कीम का उपधार (2) के अधीन अन्तरण स्कीम के तक्तमान प्रभाव होगा।

#### (5) जहां,--

- (क) कोई अन्तरण स्कीम किसी व्यक्ति या उपक्रम के, जो राज्य सरकार के पूर्णतय स्वामित्वाधीन न हीं, पक्ष में किसी सम्पत्ति या अधिकार का अन्तरण अन्तर्ग्रस्त हो, वह अन्तरिती द्वारा अन्तरक को उचित मृत्य के भुगतान करने पर ही स्क्रोम को प्रभावी किया जायगा।
- (ख) अन्तरण स्क्रीम के अनुसरण में किसी प्रकार का कोई संव्यवहार किया जाता हैं। वहां वह सभी व्यक्तियों पर जिसमें तृतीय पक्षकार भी हैं, बाध्यकारी होगा भले ही ऐसे व्यक्तियों ने सहमति न दी हो।
- (6) किसी अन्तरण स्कीम में,-
  - (क) (एक) सम्पत्ति, अधिकार और दायित्यों को विनिर्दिष्ट करके;
- (दो) अन्तरक के उपक्रम के किसी विनिर्दिष्ट भाग की समाविष्ट करते हुए सभी सम्पत्तियों, हितों, अधिकारों और दायित्वों को निर्दिष्ट करके:

- (तीन) अंशतः एक रीति से और अंशतः दूसरी रीति से, किसी ऐसी सम्पत्ति, हित, अधिकार और दायित्व को, जिनका आवंटन किया जाना हो परिभाषित किया जा सकेगा;
- (ख) यह व्यवस्था की जा सकेगी कि स्कीम में विनिर्दिष्ट अधिकार और दायित्व अन्तरक या अन्तरिती द्वारा या उनके विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे;
- (ग) अन्तरिती पर यह बाध्यता आरोपित की जा सकेगी कि वह अन्य अन्तरिती के साथ इस स्कीम में यथाविनिर्दिष्ट लिखित करार करे या उसके पक्ष में अन्य लिखत निष्पादित करे ;
- (घ) ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक उपबन्ध किये जा सकेंगे, जैसा अन्तरक उचित समझे जिसमें ऐसे क्रम को विनिर्दिष्ट करने के उपबन्ध भी हैं जिसमें कोई अन्तरण या संव्यवहार प्रभावी होगा।
- (7) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन अन्तरित उपक्रमों के भाग के रूप में, पावर कारपोरेशन या पावर कारपोरेशन के किसी सहायक कम्पनी या किसी उत्पादन कम्पनी में सम्पत्तियों, अधिकारों और दायित्वों के निहित होने पर इस धारा के अधीन बनाई गई किसी अन्तरण स्क्रीम में कार्मिकों को, पावर कारपोरेशन या पावर कारपोरेशन की किसी सहायक कम्पनी या किसी उत्पादन कम्पनी को, स्थानान्तरित करने की व्यवस्था कर सकेगी और ऐसे स्थानान्तरण पर कार्मिक, यथास्थिति, पावर कारपोरेशन या उसकी किसी सहायक कम्पनी वो अधीन ऐसे निबन्धनों और शर्ती पर जो कि अन्तरण स्क्रीम के अनुसार निम्नितिद्धित के अध्यधीन रहते हुए अयथारित की जाय, पद धारण करेगा या सेवा करेगा, अर्थात्.—
  - (रा) कार्मिकों की सेवा के निबन्धन और शर्ते उन पर स्थानान्तरण के ठीक पूर्व लागू निबन्धन और शर्तों से कम अनुकूल नहीं होंगी;
    - (ख) हर प्रकार से कार्मिकों की सेवा में निरन्तरता बनी रहेगी; और
  - (ग) स्थानान्तरण के पूर्व उपार्जित सेवा की समस्त सुविधाओं को पूर्ण रूप से मान्यता दी जायगी और सभी प्रयोजनों के लिये जिसमें कोई या समस्त सात्रिक भुगतान भी सिम्मिलत हैं, उन पर विचार किया जायेगा:

प्रतिवन्ध यह है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, और अन्तरण स्कीम और इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय, इस प्रकार स्थानान्तरित किये गये कार्मिक को स्थानान्तरण के कारण किसी प्रतिकर या क्षति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् में ऐसे समस्त कार्मिकों के पद जिनकी सेवायें इस प्रकार स्थानान्तरित की जानी हों, स्थानान्तरण के दिनांक से समाप्त हो जायंगे।

स्पस्टीकरण: इस धारा और अन्तरण स्कीम के प्रयोजनों के लिये, पद 'कार्मिक' का तात्पर्य ऐसे समस्त व्यक्तियों से है जो नियत दिनांक को परिषद् के कर्मचारी हों और जिन्हें अन्तरण स्कीम के अधीन अन्तरिती के नियन्त्रणाधीन सेवा करने का विकल्प दिया जाय।

- (8) परिषद् द्वारा, उसके साथ या उसके लिये उपगत समस्त ऋण और बाध्यतायें, की गयी समस्त संविदाएं और समस्त विषय और कृत कार्य, जिसके अन्तर्गत अन्तरण स्क्रीम के प्रभावी होने के लिये नियत दिनांक के पूर्व परिषद् की और से दी गई समस्त प्रतिभूतियां और गारन्थियां भी हैं, सुसंगत अन्तरण स्क्रीम में किलिदिक सीमा सक, राज्य सरकार या सम्बन्धित अन्तरित द्वारा, उसके साथ या उसके लिये उपगत की सूधी सबझी आयेगी और गरिषद द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित समस्त याद या अन्य विधिक कार्यवाहियां, यथास्थिति, राज्य सरकार या सम्बन्धित अन्तरिती द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रहेगी या संस्थित की जा सकेंगी।
- (9) जहां उपधारा (4) के अधीन किसी लाइसेंसधारी से उसके उपक्रम के किसी भाग को दूसरे लाइसेंसधारी में निहित करने की अपेक्षा की जाय वहां अंतरिती का लाइसेंस धारा 19 के अधीन संशोधित या धारा 18 के अधीन प्रतिसंहत किया जा सकेगा।

जलर प्रदेश असाधारण गजट, 7 जुलाई, 1999

(10) परिषद्, उपधारा (3) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के दिनांक को पश्चात् किये गये अन्तरणों के सम्बन्ध में उक्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कृत्यों और कर्ति साधक नहीं रह जावगी और उनका निर्वहन नहीं करेगी।

# अध्याय-सात

## टैरिफ

ताहरींसधारी का गजस्य और देरिण

24--(1) लाइसेंसधारी, जन प्रभारों से जिन्हें वसूल करने के लिये वह अनुज्ञात है, प्र राजम्म की संगणना करने, और टैरिफ अवधारित करने, में विनियमों में विनिर्देष्ट प्रक्रिया का करेगा।

(2) उपधारा (3) में यथा उपबन्धित के सिवाय, आयोग राजस्य और टैरिफ के अवधारा लिये निवन्धन और शतों को विनियमों में विनिर्दिष्ट कर सकेगा और ऐसा करने में आ निम्नलिखित से मार्ग दर्शित होगा, अथित् :--

(क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 46, 57 और 57-क में और उसा छठों अनुमूची में उपवस्थित वित्तीय सिद्धाना और उसका लागू होना;

(ख) कारक, जो दक्षता संसाधनों के मितव्ययितापूर्ण उपयोग, अच्छा सम्पादन, अधिकतम विनिधान, लाइसंस की शर्तों का अनुपालन और अन्य मामले जिन्हें आयोग इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपयुक्त समझे, को प्रोत्साहित करते हों; और

(3) जहां आयोग उपधारा (2) के खण्ड (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट कारकों से हट जाता ही वहां वह इस प्रकार हट जाने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

(4) (क) मत्येक लाइतेंसधारी, उन प्रभारों से, जिन्हें वसूल करने के लिये अनुकात होने का उसे विश्वास हो, प्रत्याशित राजस्व के आगामी विसीच वर्ष के लिये अपनी संगणना का पूर्ण ब्यारा, ऐसे समय और ऐसी रीति से जैसा विनियमी हारा उपबन्धित किया जाय, आयोग को देगा और तत्पश्चात् दह ऐसी जगतर मुहन्ता भी प्रस्तुत करंगा जैसी लाइसेंतधारी की संगणना का निर्धारण करने के लिये आयोग मुक्तियुक्त रीति से अपेक्षा करे।

(६) लाइसेंसधारी, आगामी वर्ष के लिये अपने टैरिफ के प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के तीन दिन के भीतर कम से कम दो ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनका प्रदाय के क्षेत्र में वृहद् परिचालन हीं, एक नीटिस जिसमें प्रस्तावित टैरिफ की रूपरेखा और हितदेख व्यक्तियों और राज्य सरकार से आपत्तियां आमंत्रित की गई हों, भी प्रकाशित करायेगा।

(ग) आयोग टैरिफ अवधारित करते समय, खण्ड (ख) में निर्दिष्ट नोटिस के अन्ततः प्रकाशन के दिनांक सं एक मास के भीतर प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हों, पर भी विचार करेगा।

(5) आयोग, उपधारा (4) के अधीन लाइसेंसधारी द्वारा सूचना प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर लाइसेंसधारी की-

(क) यह नोटिस देगा कि वह लाइसेंसधारी की संगणना स्वीकार करता है; या

(ख) कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए और उपान्तर या वैकृत्पिक संगणना प्रस्तातित करते हुए, यह नोटिस देगा कि उसके विचार में लाइसेंसधारी की संगणना लाइसेंस में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार नहीं है या वह अन्यथा गलत है।

(6) आयोग, उपधारा (5) में यथाउपबन्धित लाइसेंसधारी की संगणना पर अपना विनिश्चय अधिसुचित करने के पश्चात् यह अवधारित कर सकेगा कि क्या लाइसेंसधारी द्वारा प्रभारित टैरिफ में उपान्तर अपेक्षित है और यदि ऐसा हो, तो वह लाइसेंसधारी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह टैरिफ या उसके किसी भाग को ताल्कालिक प्रभाव से उपान्तरित करे।

- (7) प्रदाय लाइसेंस का प्रत्येक धारक, प्रदाय के क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में अपने प्रदाय के क्षेत्र के भीतर विद्युत के लिये टैरिफ का प्रकाशन करायेगा और अनुरोध पर उसे जनता को उपलब्ध करायेगा और ऐसा टैरिफ ऐसे अन्ततः प्रकाशन के दिनांक से सात दिन के पश्चात् प्रवृत्त होगा और इस धारा के अधीन कार्यान्वित कोई टैरिफ,—
  - (क) विद्युत के किसी उपभोक्ता के प्रति कोई अधिमान या पक्ष प्रदर्शित नहीं करेगा किन्तु वह किसी दिनिर्दिष्ट अविध के दौरान या ऐसे समय जिसके दौरान प्रदाय अपेक्षित हो, उपभोक्ता के भारकारक या उपयोग के प्रयोजन या ऊर्जा कारक, उपभोक्ता के कुल विद्युत उपभोग के आधार पर भिन्न हो सकेगा:
  - (ख) न्यायसंगत और युक्तियुक्त होगा और ऐसी होगी जो विद्युत के प्रदाय और उपभोग में मितव्ययिता और दक्षता की अभिवृद्धि करे; और
  - (ग) इस अधिनियम के अन्य सभी सुसंगत उपवंधों और लाइसेंस की शर्तों के अनुसार होगी।
- (8) किसी ईंधन अधिभार सूत्र के निवन्धनों के अधीन स्पष्टतः अनुज्ञेय किसी परिवर्तन जैसा विनियम द्वारा उपविन्धित किया जायग्, के सिवाय टैरिफ को एक वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक बार अवधारित नहीं किया जायगा। किसी टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित दिनांक से कम से कम सौ दिन पूर्व लाइसेंसधारी प्रस्तावित टैरिफ का ब्यौरा, ऐसी अग्रतर सूचना के साथ, जैसी आयोग यह अवधारित करने के लिए अपेक्षा करे कि क्या प्रस्तावित टैरिफ दर उपधारा (7) के अनुसार है, आयोग को उपलब्ध करायेगा। यदि आयोग यह मानता है कि किसी लाइसंसधारी की प्रस्तावित टैरिफ, उपधारा (7) के किन्हीं एक या अधिक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो वह, उसके द्वारा अपेक्षित सभी सूचनाओं की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर और धारा 29 के अधीन गठित विद्युत सलाहकार सिमित और लाइसेंसधारी से परामर्श करने के पश्चात् लाइसेंसधारी को सृचित करेगा कि टैरिफ आयोग को स्वीकार्य नहीं है और वह लाइसेंसधारी को एक वैकल्पिक टैरिफ देगा जिसे लाइसेंसधारी द्वारा कार्यान्वित किया जायगा। लाइसेंसधारी किसी टैरिफ को तब तक कार्यान्वित नहीं करेगा जब तक कि आयोग द्वारा उसे अनुमोदित न कर दिया जाय।
- (9) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 57-क और 57-छ में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् कोई ''दरनिर्धारण समिति'' गठित नहीं की जायगी और आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि विद्युत के बोक और फुटकर दोनों विक्रय के लिए प्रभारों के सम्बन्ध में, और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उनकी आस्तियों या प्रणालियों से संयोजन और उनके प्रयोग के लिये लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस के निबन्धन और शर्तों का अनुपालन किया गया है।

स्पष्टीकरण:-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

- (क) शब्द 'लाइसेंसधारी' में विद्युत का पारेषण, विक्रय, वितरण या प्रदाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति भी सम्मिलित होगा;
- (ख) ''प्रभार से प्रत्याशित राजस्व'' का तात्वर्य ऐसे राजस्व से है जो किसी लाइसेंसधारी से उपधारा (4) के अधीन टैरिफ की अवधारणा में प्रमुक्त पूर्वानुमानित प्रदाय के प्रभार से यसूल किया जाना प्रत्याशित हो; और
- (ग) ''टैरिफ'' का तात्पर्य विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए ऐसी मानक कीमतों या प्रभारों की किसी अनुसूची से है, जो ऐसी सभी सेवाओं पर लागू हैं जो टैरिफ में विनिर्दिष्ट ग्राहकों को श्रेणी या श्रेणियों को उपलब्ध कराई जाय।
- 25—(1) राज्य सरकार समय-समय पर धारा 12 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए किसी लाइसेंसधारी को उतनी धनराशि की आर्थिक सहायता प्रदान कर सकेगी जितनी आयोग द्वारा संस्तुत की जाय।

(2) राज्य सरकार समय-समय पर किसी ऐसे लाइसेंसघारी या उत्पादन कम्पनी को, जो तत्त्वमय पूर्णतः या पर्याप्ततः राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन हो, ऐसे निबंधन एवं शर्ती पर, जैसा राज्य सरकार अवधारित करे, ऋण दे सकेगी। लाइसेंसधारियों और उत्पादन कम्पनियों का विस्तेपोषण BENE STATE THE

(3) राज्य सरकार ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे ऐसे किसी ऋण के मूल प्रतिसंदाय या ब्याज के भुगतान, या दोनों की, जो किसी ऐसे लाइसेंसधारी या उत्पादन कम्पन तलामय राज्य सरकार के पूर्णतः या पर्याप्ततः स्वामित्वाधीन हो, द्वारा लिया जाना प्रस्तावित । उसकी अन्य वित्तीय बाध्यता के निर्वहन की गारन्टी दे सकेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, जब तक ऐसी गारन्टी प्रवृत्त है, प्रत्येक वर्ष राज्य f मण्डल के समक्ष पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान दी गयी गारन्टियों का यदि कोई हों, विवरण और किसी गारन्टी के कारण प्रत्येक मामले में राज्य के राजस्व से संदत्त की गयी धनराशि और इस प्रकार की गई धनराशि के प्रतिसंदाय स्वरूप राज्य के राजस्व में संदत्त की गयी किसी धनराशि, का आ

(4) राज्य सरकार, उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किसी लाभ प्राप्त करने वाले प्रत्येक लाइसेंसधारी या उत्पादन कम्पनी के लेखों का निरीक्षण और सत्यापन करने

#### अध्याय-आठ

आदेश पारित करने और निदेश प्रवर्तित करने की आयोग की शक्ति

आयीग द्वारा आदेश

26—(1) जहां आयोग को किसी शिकायत से या अन्यथा यह ज्ञात ही कि लाड्सेंस्थारी द्वा किसी लाइसेंस की किन्हीं निबन्धन और शर्तों का उल्लंबन किया गया है या उल्लंबन किये जाने व संभावना है, वहां वह लाइसेंस के निबन्धन और भर्ती का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन व लिये, आदेश द्वारा, लाइसेंसधारी से ऐसा कार्य करने या उससे विरत रहने की अपेक्षा कर सकेगा, जैस उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय।

- (2) इस धारा के अधीन कोई आदेश करते समय आयोग निम्नतिखित तथ्यों को ध्यान मे रखेगा, अर्थात्,-
  - (क) सीमा जहां तक उपधारा (1) में निर्दिष्ट उल्लंघन इस अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन को पूरा करना प्रभावित करेंगे;
  - (ख) सीमा जहां तक, कोई आदेश दिये जाने के पूर्व, किसी व्यक्ति को लाइसेंस के किन्हीं निबन्धन एवं शर्तों का उल्लंघन में किसी कार्य को करने या उसे न करने के फलस्वरूप हानि या क्षति होने की सम्भावना हो; और
    - (ग) उपधारा (1) में निर्दिष्ट उल्लंघन के सम्बन्ध में उपलब्ध कोई अन्य उपचार।
  - (3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व, आयोग लाइसेंसधारी को, -
    - (क) यह कथन करते हुये कि वह आदेश करने का प्रस्ताव करता है;
    - (ख) निम्नतिखित का उल्लेख करते हुए,-

(एक) उन शर्तों या अपेक्षाओं, जिनके आधार पर प्रस्तावित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आशयित है;

(दो) उन कार्यों या लोगों, जिनसे उसकी राय में, लाइसेंस के किन्हीं निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन होता हो; और

(तीन) कोई अन्य तथ्य जो, उसकी शय में, आदेश का किया जाना न्यायोचित वहराते हों और

(ग) उस आवधि को बिनिर्दिश करते हुए, जो बोटिस के दिनांक से तीस दिन से कम न होगी, जिसके भीतर लाइसेंसधारी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन दे सके या

नोटिस देगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी नोटिस को सर्वसाधारण की सूचना के लिये कम से कम एक ऐसे दैनिक समाचार-पत्र में, जो प्रदाय के क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित हो, प्रकाशित किया

- (5) जहां आयोग का यह विचार हो कि आदेश करने का प्रयोजन आदेश करने में विलम्ब होने से विफल हो जायगा या परिस्थितियों की आकस्मिकता से ऐसा अपेक्षित है, वहां वह उक्त नोटिस के दिनांक से 7 दिन के पश्चात् किसी भी समय एक अन्तरिम आदेश जो उपधारा (3) के अधीन प्रस्तावित आदेश से असंगत न होगा, दे सकेगा।
- (6) आयोग को लाइसेंसधारा के किन्हीं उपक्रमों के प्रबन्ध और नियंत्रण की उपक्रम की आस्तियों, हितों और अधिकारों के साथ मामले में किसी जांच के लिन्दित रहते किसी व्यक्ति या प्राधिकारी में निहित करने के लिये निदेश देने की शक्ति होगी, यदि आयोग इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों और उपभोक्ताओं को दक्ष एवं सुरक्षित रीति से विद्युत के प्रदाय की निरन्तरता बनाये रखने की आवश्यकता, को ध्यान में रखते हुए ऐसा निदेश देना आवश्यक समझे

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेंसधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये विना इस उपधारा के अधीन कोई निदेश जारी नहीं किया जायगा।

- (7) आयोग प्राप्त अध्यावेदनों या आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् और लाइसेंसधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उपधारा (3) के खण्ड (ग) में निर्दिप्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय आदेश दे सकेगा, यदि,—
  - (क) आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि नाइसेंसधारी ने नाइसेंस के किन्हीं निवन्धन एवं शर्तों का उल्लंघन किया है या उल्लंघन कर रहा है या उसके द्वारा उल्लंघन किया जाना सर्वधा सम्भाव्य है; और
  - (ख) लाइसेंस के निवन्धनों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश आवश्यक प्रतीत हो।
- (8) जहां उपधारा (3) के अधीन कोई नोटिस जारी करने के पश्चात् लाइसेंसधारी ने लाइसेंस के निवन्धनों और शर्तों के कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठा लिये हों या ऐसे कदम उठाने के लिए सहमत हो, वहां इस धारा के अधीन कोई आदेश देना आयोग के लिए आवश्यक नहीं होगा।
  - (9) इस धारा के अधीन कोई आदेश,-
    - (क) ऐसे भावी दिनांक से प्रभावी होगा जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय; और
  - (ख) लाइसेंसधारी और ऐसे अन्य सभी व्यक्तियों को जिन पर ऐसे आदेश का प्रभाव पड़ने की संभावना हो, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आयोग द्वारा किसी भी समय प्रतिसंहत या उपांतरित किया जा सकेगा।
- (10) उपधारा (1) या उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश प्रदाय के क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित कम से कम एक दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जावगा।
- 27—(1) धारा 45 के उपवधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले दिना, आयोग द्वारा दिवा गवा प्रत्येक निदेश या आदेश प्रवर्तित हो सकेगा मानों वह किसी सिविल न्यायालय द्वारा दी गयी, कोई डिक्री या आदेश हो और आयोग के पास उसे निष्पादित करने की सभी शक्तियां होंगी।

(2) आयोग को पुलिस या अन्य प्राधिकारियों से ऐसी सहायता लेने की शक्ति होगी जैसी उसके आदेशों और निदेशों को प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक समझी जाय।

28—(1) आयोग को, इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों वा उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों या आयोग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों या आदेशों के किसी उत्पादन कम्पनी, लाइसेंसधारी या अन्य व्यक्ति द्वारा उल्लंघन के लिए, ऐसे जुर्माने और प्रभार आरोपित करने की शक्ति होगी जैसी विनियम द्वारा उपवंधित की जाय। इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए आयोग द्वारा आरोपित किया जाने वाला जुर्माना पांच लाख रुपये तक हो सकेंगा और उल्लंघन के जारी रहने की दशा में, आयोग अग्रतर जुर्माना आरोपित कर सकेंगा जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसकें दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, बीस हजार रुपये तक हो सकेंगा।

(2) आयोग को यह शक्ति होगी कि वह इस अधिनियम के उपवंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को यह निदेशित करे कि वह ऐसे उल्लंघन के कारण नुकसान या क्षति उठाने वाले व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान करे।

आयोग के आदेशों और निदेशों का प्रदर्तन

जुर्माना, प्रतिकर और प्रभार (3) इस धारा के अधीन आरोपित जुर्माना और प्रभार और भुगतान के लिए आदेशित प्रतिकर अध्याय ग्यारह या तस्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी दायित्व के अतिरिक्त होगा न कि उनके अल्पीकरण के लिए।

#### अध्याय-नौ

# विद्युत सलाहकार समिति और उपभोक्ता संरक्षण

विद्युत सलाहकार समिति

- 29—(1) आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, एक समिति का, जो आयोग को नीति विषयक मामलों में या लाइसेंसधारी द्वारा दी जाने, वाली सेवाओं की गुणवत्ता और निरन्तरता से सम्बन्धित किसी अन्य मामले में सलाह देगी, गठन करेगा जिसे विद्युत सलाहकार समिति कहा जायगा।
- (2) विद्युत सलाहकार सिमिति में व्यक्तियों की जिसमें पदेन अध्यक्ष और सदस्य भी हैं, एन्द्रह से अन्यून और 21 से अनिधक ऐसी संख्या होगी जैसी आयोग विनिश्चित करें। आयोग सिमिति के सदस्यों की नियुक्ति ऐसी रीति से करेगा कि उसमें लाइसेंसधारियों राज्य में काम कर रही उत्पादन कम्पनियों, वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, विद्युत प्रदाय उद्योग में नियोजित श्रमिक और विद्युत उपभोक्ताओं में से प्रत्येक के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कम से कम एक सदस्य हो।
- (3) आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य विद्युत सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष
  - (4) विद्युत सलाहकार समिति प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

आयोग की विनियम वनाने की शक्ति

- 30—(1) आयोग लाइसेंसधारी और विद्युत सलाहकार ह. ां और किसी अन्य व्यक्ति के जिसमें से किन्हीं का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्,—
  - (क) ऐसी परिस्थितियां जिनमें लाइसेंसधारी ग्राहकों को उनके अधिकारों के सम्बन्ध में स्चित करेगा;
  - (ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिकारों से उद्भूत किसी कर्तव्य के सम्बन्ध में निष्पादन का मानक; और
  - (ग) ऐसी परिस्थितियां जिनमें लाइसेंसधारियों को विनियम की किन्हीं अपेक्षाओं से

और वह भिन्न-भिन्न लाइसेंसधारियों के लिए भिन्न-भिन्न उपबंध करेगा।

(2) इस अधिनियम की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।

विद्युत प्रदाय और कुल निष्पादन मानक

- 31—(1) आयोग समय-समय पर लाइसेंसधारी, विद्युत सलाहकार समिति और किन्हीं अन्य व्यक्तियों जिन्हें वह उपयुक्त समझें, से परामर्श करके,—
  - (क) विद्युत प्रदाय सेवाओं और उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत के कुशल प्रयोग को बढ़ावा दिये जान के सम्बन्ध में कुल निष्पादन का ऐसा मानक अवधारित करेगा जो उसकी राय में मितव्ययी हो और जिसे ऐसे लाइसेंसधारियों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए और भिन्न-भिन्न लाइसेंसधारियों के लिए भिन्न-भिन्न मानक अवधारित किये जा सकेंगे; और
  - (ख) इस प्रकार अवधारित मानकों को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा जैसी आयोग उचित समझे।

असम्पादन के स्तरों के सम्बन्ध में सूचना

- 32—(1) प्रत्येक वर्ष, ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व जैसा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रत्येक लाइसेंसधारी आयोग को निम्नलिखित के सम्बन्ध में सूचना देगा, अर्थात्,—
  - (क) वादों की संख्या जिनमें कोई शास्ति आरोपित की गयी हो और शास्ति की धनराशि; और

- (ख) धारा 31 के अधीन अवधारित प्रत्येक मानक के लिए लाइसेंसधारी द्वारा किये गये निष्पादन का स्तर।
- (2) आयोग, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त सूचना को, लाइसेंसधारी के प्रदाय के क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करेगा।

33—(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी व्यक्ति या व्यवसाय के संबंध में कोई भी अप्रकाशित सूचना, जो इस अधिनियम के अधीन आयोग को दी गयी हो या उसके द्वारा प्राप्त की गयी हो, संबंधित व्यक्ति या व्यवसाय के प्रभारी की सहमित के बिना आयोग द्वारा प्रकट नहीं की जायगी:

सूचना के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी सूचना केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य के महालेखाकार या किसी ऐसे व्यक्ति को प्रकट की जा सकेगी जो दिवालियापन से संबंधित विधि के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के संबंध में या किसी दाण्डिक अपराध की जांच के संबंध में या किसी सिविल अथवा दांडिंक कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए उसकी अपेक्षा करे।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट निर्बन्धन, टैरिफ से संबंधित सूचना के संबंध में लागू नहीं होंगे।

#### अध्याय-दस

#### माध्यस्थम् और अपीलें

34—(1) माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में किसी बात के होते हुए भी, माध्यस्थम् लाइसेंसधारियों के मध्य या धारा 30 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में उत्पन्न किसी विवाद या मतभेद को माध्यस्थम् के लिए आयोग को निर्दिष्ट किया जायेगा। आयोग विवाद के न्यायनिर्णय और निपटारे के लिए माध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकेगा या किसी को माध्यस्थ नामनिर्दिष्ट कर सकेगा। माध्यस्थ ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो नैसर्गिक न्याय के सि तों के अनुसार हो।

(2) जहां आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी माध्यस्थ द्वारा पंचाट दिया जाय, तो इसे आयोग के. समक्ष दाखिल किया जायगा और आयोग निम्नलिखित में से कोई आदेश दे सकेगा, –

- (क) पंचाट की पुष्टि और उसे प्रवर्तित करना;
- (ख) पंचाट को अपास्त या उपांतरित करना; या
- (ग) माध्यस्थ के पुनर्विचार के लिए पंचाट प्रतिप्रेषित करना।
- (3) आयोग द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिया गया कोई पंचाट या उपधारा (2) के अधीन दिया गया कोई आदेश, जो पचास हजार रुपये से अधिक मूल्यांकन का हो इस अधिनियम के अधीन अपीलीय होगा।
- (4) आयोग द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिया गया कोई पंचाट या उपधारा (2) के अधीन दिया गया कोई आदेश इस प्रकार प्रवर्तनीय होगा मानों वह सिविल न्यायालय की कोई डिक्री हो।

35—भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 या तद्धीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी विद्युत निरीक्षक के, जो केन्द्र सरकार या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के किसी निरीक्षक से भिन्न हो, विनिश्चय के विरुद्ध अपील किये जाने वाले आदेश की संसूचना के दिनांक से तीस दिन की अविध के भीतर, आयोग को अपील की जायगी।

विद्युत निरीक्षक के आदेशों की अपीलें

36—इस अधिनियम के अधीन आयोग के किसी पंचाट या आदेश से [धारा 34 के अधीन किये गये किसी ऐसे पंचाट या आदेश से भिन्न जिसमें पचास हजार रुपये तक का मूल्यांकन अंतर्ग्रस्त हो ] व्यथित कोई व्यक्ति, आयोग का आदेश उसे संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा:

आयोग के आदेशों की अपीलें

प्रतिबन्ध यह है कि उच्च न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि अपीलार्थी उक्त अविध के भीतर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारण से निवारित कर दिया गया था, 60 दिन से अनिधिक अग्रतर अविध के भीतर अपील दाखिल करने की अनुमति दे सकेगा।

#### अध्याय-ग्यारह

## अपराध और शास्तियां

अपराध और शास्तियां

37--(1) जो कोई,-

- (क) इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों या भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपवन्धों के उल्लंघन में विद्युत के पारेषण या प्रदाय के कारबार में लगा हुआ है; या
- (खं) इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी निर्देश, आदेश या अपेक्षा का अनुपालन करने या उसे कार्यान्वित करने से बिना किसी युक्तियुक्त कारण के इन्कार करता

इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।

- (2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति, कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुमनि से, जो पांच लाख रुपये तक हो सकेगा या दोनों से, और अग्रतर शास्ति, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अपराध प्रथम दिन के पश्चात् जारी रहे, बीस हजार रुपये तक का ही सकेगा, दण्डित किया जायगा।
- (3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति कारावास से जो छः मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो पांच लाख रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, और अग्रतर शास्ति, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अपराध प्रथम दिन के पश्चात् जारी रहे, बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

38—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो, तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी और उसे दण्डित किया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का भागी नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, और यह सावित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्पति या मौनानुमित से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो कम्पनी का ऐसा निदेशक, प्रवन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी तमझा जायगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी

# स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

- (क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी सम्मिलित है; और
  - (ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

अपराधों का शमन

- 39—(1) आयोग, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायंगे, किसी व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई दण्डनीय अपराध किया हो या किसी दण्डनीय अपराध की युक्तियुक्त रूप से करने का उस पर सन्देह हो, शमन फीस के रूप में ऐसी धनराशि जो पांच लाख रुपये से अनिधिक हो, स्वीकार कर सकेगा और अपराध का शमन कर सकेगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के शमन पर ऐसे अपराध के संबंध में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही न तो की जायगी और न जारी रखी जायगी और यदि उस अपराध के संबंध में कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में पहले से ही संस्थित की जा चुकी है तो शमन उसकी

40—(1) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत आयोग के किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। अपराधों का संज्ञान

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध अधिकारिता रखने वाले किसी ऐसे न्यायालय द्वारा जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का न हो, विचारणीय होगा।

41—इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध सभी कार्यवाही और कार्य तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाही या कार्य के अतिरिक्त होंगी और उसके अल्पीकरण में नहीं होंगी।

शास्ति और कार्यवाहियां, अन्य कार्यवाहियां पर प्रतिकृत प्रभाव नहीं डालेंगी

#### अध्याय-बारह

### लेखा और लेखा परीक्षा

42—(1) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोजन किये जाने के पश्चात्, आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जैसी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये उचित समझे: राज्य सरकार द्वारा अनुदान

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होगा।

(2) आयोग ऐसी राशि को जैसी वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के सम्पादन के लिये उचित समझे व्यय कर सकेगा और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से व्यय के रूप में देय माना जायगा।

... 43--(1) आयोग, लेखा और अन्य अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण, ऐसे प्रपत्र में जैसा विहित किया जाय, तैयार करेगा। लेखा और लेखा-परीक्षा

- . (2) आयोग के लेखों की लेखा-परीक्षा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की जायगी।
- (3) आयोग के लेखों के वार्षिक विधरण की प्रतियां उसकी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को अग्रसारित की जायगी।
- (4) आयोग के लेखों के वार्षिक विवरण की प्रति उसकी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित, जिसे उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया जाय राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायगी।

44—(1) आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण दिया जायगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

(2) राज्य सरकार, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, उसे राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

ी य

गे

ति

įΫ

#### अध्याय-तेरह

#### प्रकीर्ण

45—अध्याय दस के अधीन देय किसी धनराशि के सिवाय, हस अधिनियम के अधीन देय कोई धनराशि आयोग के सचिव के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जा सकेगी।

भू-राजस्य के रूप में वसूली योग्य धनराशि जुर्मानो और प्रभारों का उपयोग

46—आयोग, इस अधिनियम के अधीन कोई जुर्माना या प्रभार आरोपित करते समय निदेश दे सकेगा कि उसका सम्पूर्ण या कोई भाग किसी पक्षकार को कार्यवाही के व्यय का भुगर करने में या उसके लिये, उपयोग किया जायगा।

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

47—िकसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम या उसके अधी बनाये गये नियमों या विनियमों या किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से कि गया हो या किये जाने के लिए आश्चित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नह

अधिकारिता का वर्जन

48—इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किया गय कोई आदेश या की गयी कोई कार्यवाही अपीलीय नहीं होगा और किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन, या उसके द्वारा, आयोग या कोई अन्य प्राधिकारी विनिश्चय करने के लिये सशक्त किया गया है, किसी सिविल न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं होगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

- 49—(1) यदि इस अधिनियम के उपवन्धों को, इस अधिनियम में, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में, किसी बात के कारण, प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि यह अधिनियम ऐसे आदेश के दिनांकके पश्चात् बारह मास से अनिधिक अविध के दौरान, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक और समीचीन समझे, प्रभावी होगा और ऐसा आदेश धूतलक्षी प्रभाव से ऐसे दिनांक से दिया जा सकेगा जो इस
- (2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अविध की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा।
- (3) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

आयोग की कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाहियां होंगी

50—आयोग की सभी कार्यवाहियां, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193, 219 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी और आयोग, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय छब्बीस के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायगा।

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारिवृन्द लोक सेवक होंगे

51—आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की

विनियम बनाने की. े शक्ति

- 52—(1) आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष सम्पादन के लिये ऐसे विनियम वना सकेगा जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों।
- (2) विशेषतः और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकेगी, अंर्थात्:-
  - (क) आयोग के कार्यकलाप का, उसके कृत्यों के प्रयोग में, प्रशासन;
  - (ख) ताइसेंसधारियों और विद्युत के उत्पादन, क्रय, परेषण, वितरण या प्रदाय में लगे हुये अन्य व्यक्तियों को समनुदेशित किये जाने वाले कृत्यों का अवधारण, ऐसी रीति से जिससे ऐसे कृत्यों का निर्वहन किया जायगा और विद्युत प्रणाली और विद्युत प्रदाय लाइनों के प्रचालन और अनुरक्षण के सम्बन्ध में अंगीकृत और प्रवृत्त की जाने वाली प्रक्रिया;

- (ग) लाइसेंस देने की प्रक्रिया और शर्ते, लाइसेंस के लिये आवेदन करने वाले व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली विशिष्टियां और दस्तावेज, मानक और सामान्य शर्ते जिसके अध्यधीन रहते हुये लाइसेंस दिया जायगा, किसी लाइसेंस की अपेक्षा से छूट दिया जाना, लाइसेंसों का प्रतिसंहरण और संशोधन और उसका प्रभाव और उससे सम्बन्धित सभी मामले:
  - (घ) लाइसेंसधारियों के कर्तव्य, शक्तियां, अधिकार और बाध्यतायें:
- (ङ) विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, प्रदाय या उपयोग में लगे हुये व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विशिष्टियां और उनके द्वारा सूचना, विशिष्टियां, दस्तावेज, लेखा और बहियां प्रस्तुत करने के लिये प्रपत्र और रीति;
  - (च) राजस्व और टैरिफ को अवधारित करने के लिये निबन्धन, शर्ते और प्रक्रिया;
- (छ) राज्य में विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण या प्रदाय में लगे हुये व्यक्तियों की उपलब्धियों के मानक का अवधारण;
  - (ज) लाइसेंसधारी और विद्युत उपभोक्ता द्वारा देय फीस और प्रभार;
- (झ) इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिये आरोपित किये जाने वाले जुर्माने की धनराशि और शास्तियां जिसमें जुर्माने और शास्ति को आरोपित करने और उनके संग्रह का ढंग और रीति भी सम्मिलित है;
- (ञ) कोई अन्य विषय जिसे विनियम द्वारा उपवन्धित किया जाना अपेक्षित हो या किया जा सकता हो।

53—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

- (2) विशेषतः और उपधारा (1) में दी गयी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार द्वारा ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकेगी, अर्थात्:-
  - (क) अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;
    - (ख) प्रस्तप और रीति, जिसमें आयोग के लेखों का अनुरक्षण किया जायगा; और
  - (ग) कोई अन्य विषय जिसे नियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित हो या किया जा सकता हो।

### अध्याय-चौदह विद्यमान केन्द्रीय विधि पर प्रभाव

54—(1) धारा 55 में यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 या विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के उपबन्धों से असंगत या प्रतिकूल होते हुए भी, उपधारा (3) में उपबन्धित रीति से और सीमा तक अभिभावी होंगे। भारतीय विद्युत अधिनयम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनयम, 1948 पर इस अधिनियम का प्रभाव

- (2) उपधारा (1) के अध्यधीन रहते हुए, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में दिए गए सभी विषय जिनसे परिषद् सम्बद्ध रहा है या व्यवहार करता रहा है, निम्नलिखित के अध्यधीन होंगे:-
  - (क) परिषद् ऐसे कृत्यों का जिम्पा नहीं लेगा जिनका निर्वहन इस अधिनियम के उपवन्धों या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों के निबन्धनों के अनुसार आयोग द्वारा किया जायगा;
  - (ख) इस अधिनियम की धारा 23 के निबन्धनों के अनुसार अधिसूचनायें जारी होने पर परिषद् के ऐसे कृत्यों का जिम्मा परिषद् नहीं लेगा जो उस अधिसूचना के अधीन कम्पनियों या निगमित निकाय या व्यक्तियों या प्राधिकारी को समनुदेशित हों;
- (3) उपधारा (1) और (2) के अध्यधीन रहते हुए, आयोग की स्थापना होने पर भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के उपबन्ध, जहां तक इस राज्य का सम्बन्ध है, इस अधिनियम में उपबन्धित उपान्तरों और आरक्षणों के, जिसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं, अध्यधीन रहते हुए पढ़े जायंगे :-
  - (एक) जहां तक इस राज्य का सम्बन्ध है, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 में राज्य विद्युत परिषद् के प्रति सभी सन्दर्भ इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों में यथा उपबन्धित आयोग, या कम्पनी या निगमित निकाय या व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति सन्दर्भ और जहां कहीं भी इसका संबंध सामान्य नीति के विषय से होगा, वहां राज्य सरकार के प्रति सन्दर्भ पढ़े जायंगे।
  - (दो) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 3 से 11, 28, 36 (2), 49-क, 50, 51 और 52 के उपबन्ध उस सीमा तक जहां तक इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उपबन्ध किये
  - (तीन) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की अन्य सभी धाराओं के उपबन्ध निम्नलिखित के सिवाय लागू होंगे:—
    - (क) पद ''लाइसेंस'' या ''लाइसेंसधारी'' का अर्थ वही होगा, जैसा इस अधिनियम में परिभाषित है और वर्ष 1910 के उक्त अधिनियम के अधीन जारी लाइसेंस, इस अधिनियम के अधीन जारी लाइसेंस समझे जायंगे;
    - (ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के उपवन्धों में भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धाराओं के सन्दर्भ इस अधिनियम द्वारा उपान्तरित सीमा तक इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के सन्दर्भ के रूप में लिये जायंगे;
    - (ग) इस अधिनियम में माध्यस्थम के सन्दर्भ, सिवाय जहां यह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हो, इस अधिनियम की धारा 34 के अधीन कार्यवाहियों के सन्दर्भ में रूप में लिए जायंगे और भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अधीन विहित माध्यस्थम प्रक्रिया लागू नहीं होगी।
- (चार) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की अनुसूची, इस अधिनियम के उपबन्धों के सन्दर्भ में केवल वहीं लागू होगी जहां अनुसूची का लागू होना विनिर्दिष्ट किया गया है, अन्यथा नहीं लागू होंगी।

(पाच) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में राज्य विद्युत परिषद् के प्रति सभी सन्दर्भ जहां तक राज्य का सम्बन्ध है, इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों में यथा उपबन्धित आयोग या कम्पनी या निगमित निकाय या व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति सन्दर्भ और जहां कहीं भी इसका सम्बन्ध सामान्य नीति के विषय से होगा वहां, राज्य सरकार के प्रति सन्दर्भ पढ़े जायंगे।

- (छ:) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 5 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 से 26, 27, 37, 40 से 43, 44, 45, से 54, 56 से 69, 72, 75 और 76 से 83 में उपबन्धित विषयों के सम्बन्ध में, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के उपबन्ध, जिस सीमा तक इस अधिनियम के द्वारा विनिर्दिष्ट उपवन्ध किये गये हों, राज्य में लागू नहीं होंगे।
- (सात) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की अन्य सभी धाराओं के उपबन्ध निम्नलिखित के सिवाय लागू होंगे:—
  - (क) पद "लाइसेंस" या "लाइसेंसधारी" का अर्थ वही होगा, जैसा इस अधिनियम में परिभाषित है और वर्ष 1948 के उक्त अधिनियम के अधीन जारी लाइसेंस इस अधिनियम के अधीन जारी लाइसेंस समझे जायेंगे;
  - (ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के उपवन्धों में भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धाराओं के सन्दर्भ इस अधिनियम द्वारा उपान्तरित सीमा तक इस अधिनियम के तत्समान उपवन्धों के सन्दर्भ के रूप में लिए जायंगे;
  - (ग) इस अधिनियम में माध्यस्थम के सन्दर्भ, सिवाय जहां यह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हो, इस अधिनियम की धारा 34 के अधीन कार्यवाहियों के सन्दर्भ के रूप में लिये जायंगे और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन विहित माध्यस्थम प्रक्रिया लागू नहीं होगी।
- (आठ) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 72 और 73 के उपबन्ध, उत्पादन कम्पनियों तक निर्बन्धित होंगे और इन धाराओं में राज्य विद्युत परिषद् के सन्दर्भ को निकाल दिया जायगा।
- (नौ) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की अनुसूची, इस अधिनियम के उपबन्धों के सन्दर्भ में केवल वहीं लागू होगी जहां अनुसूचियों का लागू होना विनिर्दिष्ट किया गया है, अन्यथा नहीं लागू होंगी।

55—(1) इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, भारतीय विद्युत अधिन्यिम, 1910 या विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन राज्य विद्युत परिषद् और राज्य सरकार से भिन्न, क्षेत्रीय विद्युत परिषद्, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्र सरकार और प्राधिकारियों की शक्तियां, अधिकार और कृत्य अप्रभावी रहेंगे और निरन्तर प्रवृत्त रहेंगे।

- (2) इस अधिनियम में दी गयी कोई बात पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड या लाइसेंसधारियों, उत्पादन कम्पनियों, केन्द्र सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन उपक्रमों या अन्य निकायों पर अन्तर्राज्यीय विद्युत के पारेषण के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।
- (3) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व केन्द्रीय अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या आयोग द्वीरा की गयी समस्त कार्यवाहियां इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत या प्रतिकूल होते हुए भी विधिमान्य और प्रवर्तनीय होंगी।

आज्ञा से, योगेन्द्र राम त्रिपाठी, प्रमुख सचिव। व्यावृत्ति

# No. 1285(2)/XVII-V-I-I(KA)12-1999 Dated Lucknow, July 7, 1999

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitut. of India, the Governor is pleased to order the publication of the following Engli translation of the Uttar Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 1999, (Uttar Prade Adhiniyam Sankhya 24 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assente

# THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY REFORMS ACT, 1999

(U.P. ACT NO. 24 OF 1999)

[Aa passed by the Uttar Pradesh Legislature]

#### ACT

to provide for Pradesh, the rationalisation of generation, transmission, distribution and supply of electricity in the State, regulation by an independent electricity regulatory Commission of the electricity industry in the State including the purchase, distribution, supply and utilization of electricity, the quality of service, tariff and other charges keeping in view the interest of the consumers and utilities, creation of an environment which will attract participation of private sector entrepreneurs in the electricity industry in the State and generally for taking measures conducive to the development and management of the electricity industry in the State in an efficient, economical and competitive manner and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows:—

## PRELIMINARY

Short title and commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Electricity Reforms Act, 1999.
  - (2) It extends to the whole of the State of Ultar Pradesh.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf. 2. In this Act,—

Definitions

- (a) "area of supply" means the area within which a licensee is authorised to supply electricity;
- (b) "area of transmission" means the area within which a licensee is authorised to transmit electricity;
- (c) "Board" means the Uttar Pradesh State Electricity Board constituted under section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948:
- (d) "Central Act" means The Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 (Act 14 of 1998);
  - (e) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;
- (f) "Commission" means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission referred to in section 3;
  - (g) "licence" means a licence granted under Chapter V;

- (h) "licensee" means a person who holds a licence and includes the provisional licensee referred to in clause (a) of sub-section (3) of section 13;
- (i) "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairperson;
  - (j) "regulations" means regulations made under this Act;
- (k) "relative" means relative as defined in section 6 of the Companies Act, 1956;
- (1) "supply licence" means a licence for supply of electricity granted under sub-section (1) of section 15;
- (m) "transmission" in relation to electricity, means the transportation or transmission of electricity by means of a system which consists, wholly or mainly of extra high voltage and extra high tension lines and electrical plant and is used for transforming and for conveying and or transferring electricity from a generating station to a sub-station or from one generating station to another generating station or from one sub-station to another sub-station or otherwise from one place to another:
- (n) "transmission licence" means a licence ... transmission granted under sub-section (1) of section 15;
- (a) "Power Corporation" means the Uttar Pradesh Power Corporation Limited referred to in section 13;
- (p) "utility" means a person engaged in the generation, transmission, sale, distribution or supply of electricity;
- (q) words and expressions used but not defined in this Act, shall have the meanings assigned to them in the Electricity (Supply) Act, 1948;
- (r) words and expressions used but not defined in this Act or in the Electricity (Supply) Act, 1948, shall have the meanings assigned to them in the Indian Electricity Act, 1910.

#### CHAPTER-II

# ESTABLISHMENT OF COMMISSION, ITS FUNCTIONS AND POWERS

3. (1) (a) There shall be a commission in the State to be known as the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission to exercise the powers conferred on, and to performs the function assigned to, it under this Act;

Constitution of the Commission

- (b) The Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission established and constituted under section 17 of the Central Act shall be the Commission under this Act and the Chairperson and Members thereof shall be deemed to have been appointed as such under this Act.
- (2) The Commission shall be a body corporate and its head quarters shall be at Lucknow.
- (3) The Commission shall consist of a Chairperson and two Members to be appointed by the State Government from amongst the persons possessing the following qualifications:—
  - (a) one person having Bachelor's Degree in Engineering with experience of not less than twenty-five years in the field of generation, transmission or supply of electricity and having worked for at least two years on the post of a Chief Engineer or on any other post equivalent thereto in a State Electricity Board or any other utility;
  - (b) one person having Pachelor's Degree with experience of not less than twenty-five years in the field of administration and having held a post of Additional Secretary to the Government of India or a post equivalent thereto under the Central or the State Government and having at least five years experience in one or more departments of finance, power, industry and commerce of Government;

(c) one person having Bachelor's Degree in any disciplines of Economics, Commerce, Accountancy, Law or Management with experience of not less than twenty-five years and having worked as a Professor in an Indian Institute of Management or as a whole time Director in a Public Financial Institution specified under section 4-A of the Companies Act. 1956 or as a whole time Director in a Scheduled Bank within the meaning of the Reserve Bank of India Act, 1934 or as a Joint Secretary to the Government of India or as a District Judge or has held any other post equivalent thereto.

(4) Every appointment under sub-section (3) shall be made on the recommendation of the Selection Committee constituted under section 4.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (3) of sub-section (4), the State Government may appoint any person as the Chairperson from amongst the persons who is or has been a judge of a High Court:

Provided that no appointment under this sub-section shall be made except after consultation with the Chief Justice of the concerned High Court.

(6) The Chairperson shall be the Chief Executive of the Commission.

(7) The Chairperson and Members of the Commission shall be appointed whole time to exclusively discharge the functions of the Commission and they shall not hold any other post or undertake any other work.

(8) Where the Chairperson is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause or where any vacancy occurs in the office of the Chairperson by reason of his death, resignation or otherwise, the senior most Member shall discharge the functions of the Chairperson, until the Chairperson resumes his duties, or, as the case may be, a chairperson appointed in accordance with the provisions of this Act assumes charge of his office.

Explanation:—The seniority of a Member shall be determined from the date of his appointment as Member. If two Members are appointed on the same date, the Member older in age shall be senior.

(9) No act or proceedings of the Commission shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

4. (1) For the purposes of making appointment of the Chairperson and Members, the State Government shall constitute a Selection Committee which shall

(a) A person who has been a Judge of the High Court

Chairman

(b) The Chief Secretary to the State Gover-ment

Member

(c) The Chairman, Central Electricity Authority or his nominee not below the rank of Member of the Central Electricity Authority.

(2) The State Government shall within one month from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, resimation or removal and six months before the superannuation or end of tenure of the Chairperson or other Member, make a reference to the Selection Committee for filling up of the Vacancy.

(3) The Selection Committee while making selection of the Chairperson and other Members, shall have due regard to performance record, ability, integrity, character. qualifications and experience of the person proposed to be selected as Chairperson or other Member as the case may be.

(4) The Selection Committee shall finalise the selection of the Members within two months from the date on which the reference is made to it.

(5) The Selection Committee shall recommend a panel of two names for every vacancy referred to it.

(6) A person who is considered for selection as Chairperson or Member of the Commission, shall notify to the Selection Committee,-

Constitution of the Selection Committee

- (a) of any office, employment or consultancy agreement or arrangement which the person or his relative has in his own name or in any firm, association of persons or body corporate, owned or otherwise controlled by any of them carrying on any of the following businesses:
  - (i) generation, transmission, distribution or supply of electricity;
  - (ii) manufacture, sale or supply of any fuel for generation of electricity;
  - (iii) manufacture, sale, lease, hire or otherwise supply of or dealing in machinery, plant, equipment, apparatus or fittings for the generation, transmission, distribution, supply or use of electricity; and
  - (iv) any entity providing any professional services to any of the businesses referred to in clause (i), (ii) and (iii) above.
- (b) such other details and information as may be prescribed in the rules or by the Selection Committee.
- (7) The details received from the persons referred to in sub-section (6) shall be placed for consideration of the Selection Committee at the time of selection and recommendation of the person for appointment as Member.
- (8) Each Member of the Commission shall before taking charge of the office divest himself or herself from the interest in the businesses mentioned in subsection (6) as a condition of his or her appointment.
- (9) If a person to be appointed as a Member of the Commission holds any office under the State or Central Government or any public sector corporation or any Government body or is gainfully employed or engaged in service by any other person, Government authorities, public or private sector or otherwise, he shail submit his resignation or take voluntary retirement from that service before joining the Commission.
- (10) So long as a person holds the office of the Member and for a period of two years after he ceases to be a Member for any reason whatsoever, he shall not acquire, hold or maintain, directly or indirectly any office, employment or consultancy arrangement or any financial interest in any of the businesses mentioned in sub-section (6) and if he acquires any such interest involuntarily or by way of succession or testamentary disposition he will divest himself of the interest within a period of three months of such interest being acquired.

Explanation: For the purposes of this section a Member shall not be taken as holding financial interest in any business if the Member is a shareholder holding less than two per cent of the issued share capital in any public company.

- (11) Before recommending any person, the Selection Committee shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interest as referred to in subsection (6) which is likely to affect prejudicially his functions as a Member.
  - (12) All decisions of the Selection Committee shall be by a majority.
- (13) The procedure of selection and appointment of the Chairperson and the Other Members shall be such as may be prescribed.
- 5. (1) The Chairperson or other Member shall hold office for a term of five Term of office years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixtyfive years whichever is earlier and shall not be eligible for reappointment:

Provided that a Member other than the Chairperson shall be eligible for appointment as Chairperson for the remaining period of his term as Member.

(2) A Member may, at any time by giving in writing to the Governor notice of not less than three months, relinquish his office or may be removed from his office accordance with the provisions of section 7.

and conditions of service of Members

- (3) The Chairperson shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy before the Governor and every other member before the Chairperson in such form as may be prescribed.
- (4) The salary and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the Members shall be such as may be prescribed.
- (5) The salary, allowances and other conditions of service of the Members shall not be varied to their disadvantage.
  - (6) Any member ceasing to hold office as such shall-
  - (a) be ineligible for further employment under the State Government for a period of two years from the date he ceases to hold such office;
  - not accept any commercial employment for a period of two years from the date he ceases to hold such office; and
  - (c) not represent any person before the Commission in any manner. Explanation: for the purposes of this sub-section-
  - (i) "employment under the State Government" includes employment under any local or other authority within the territory of India under the control of the State Government or under any corporation or society owned or controlled by the State Government.
  - (ii) "commercial employment" means employment in any capacity under, or agency of, a person engaged in commercial, industrial or financial business in the electricity industry and includes also a director of a company or partner of a firm and it also includes setting up practice either independently or as partner of a firm or as an advisor or a consultant.

Disqualification for being a Member

- 6. A person shall be disqualified for appointment as a Member, if he,—
  - (a) has been adjudged an insolvent; or
  - (b) has become physically or mentally incapable of acting; or
- (c) has been convicted and semenced to imprisonment for any offence involving moral turpitude; or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect his functions as a Member; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest; or
- (f) is a Member of Parliament, the State Legislature or any local authority or is a candidate for election thereto; or
  - (g) is a member of a political party or holds a post therein.

Removal of Meinher

- 7. (1) Subject to the provisions of sub-section (2), any Member shall only be removed from his office by the State Government on the ground of proved misbehaviour after the Chief Justice of the High Court or a sitting judge of the High Court nominated in this behalf by the Chief Justice, on reference being made to him by the State Government, has, on inquiry, held by him in accordance with the procedure specified in this behalf by the Chief Justice or such judge, reported that the Member
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may, by order, remove a member from his office if he has incurred any of
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), no member shall be removed from his office on the ground specified in clause (b), clause (d) or clause (e) of section 6 unless the Chief Justice of the High Court or a sitting judge of the High Court nominated in this behalf by the Chief Justice, on a reference being made to him in this behalf by the State Government, has on an inquiry, held by him in accordance with the procedure specified in this behalf by the Chief Justice or such judge, reported that the member ought on such ground or grounds to be removed.

- . (4) The State Government shall act in accordance with the report referred to in sub-section (1) or sub-section (3), as the case may be, and the final decision of the State Government shall be communicated to the Member concerned within a period of 60 days of receipt of such report.
- 8. (1) The Commission may appoint a Secretary to exercise and perform, under the control of the Chairperson, such powers and duties as may be specified by regulations.

Officers of the Commission and other staff

Proceedings of

Commission

Functions of the

- (2) The Commission may, in consultation with the State Government, determine the number, nature and categories of other officers and employees required to assist the Commission in the discharge of its functions and appoint them.
- (3) The salaries and allowances payable to, and other conditions of service of, the Secretary, officers and other employees shall be such as may be determined by regulations, in consultation with the State Government.
- (4) The Commission may appoint consultants required to assist the Commission in the discharge of its functions on such terms and conditions as may be determined by regulations.
- 9. (1) The Commission shall ordinarily meet once in every fortnight at such time and place within the State as the Chairperson may think fit:

Provided that a meeting shall be convened earlier if a request is so made by a Member.

- (2) All matters which come up before the Commission shall be decided by a majority of the Members present and voting and all decisions, directions and orders of the Commission shall be in writing supported by reasons and shall be available for inspection by any person and copies of the same shall also be made available in such manner as the Commission may determine.
- (3) Two Members shall form the quorum for a meeting of the Commission, but in case of a difference of opinion among them on any issue, the matter shall be placed at the next meeting:

Provided that where there is a vacancy in the Commission or only two Members are present at the meeting, the Member presiding over the meeting shall have a casting vote.

- (4) The Commission shall regulate its own procedure.
- (5) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorised by the Secretary in this behalf.
  - The Commission shall have the following functions, namely,—
    - Commission
  - (a) to determine the tariff for electricity, wholesale, bulk, grid or retail, as the case may be:
  - (b) to determine the tariff payable for the use of the transmission
  - (c) to regulate power purchase and procurement process of the transmission utilities and distribution utilities including the price at which the power shalf be procured from the generating companies, generating stations or from other sources for transmission, sale, distribution or supply in the State.
  - (d) to promote competition, efficiency and economy in the activities of the electricity industry to achieve the objects and purposes of this Act;
  - (e) to regulate investment approval for transmission, distribution or supply of electricity to the entities operating within the State;
  - (f) to aid and advise the State Government in matters concerning electricity generation, transmission, distribution and supply in the State;
  - (g) to issue licence for transmission, distribution or supply of electricity and determine the conditions of the licence;

- (h) to regulate the working of licensees and other persons authorised of permitted to engage in the electricity industry in the State and to make their
- (i) to require licensees to formulate plans and schemes for the promotion of generation, transmission, distribution, supply or utilisation of electricity. and quality of service and to device proper power purchase and procurement
- (j) to set standards for the electricity industry in the State including standards relating to quality, continuity and reliability of service;
- (k) to promote competitiveness and make avenues for participation of private sector in the electricity industry in the State, and also to ensure a fair
  - (1) to lay down and enforce safety standards;
- (m) to aid and advise the State Government in formulating power policy for the State:
- (n) to collect and record information relating to generation, transmission, distribution or utilisation of electricity:
- (o) to collect and publish data and forecasts on the demand for, and use of electricity in the State and to require the licensees to collect and publish
- (p) to regulate the assets, properties and interest in properties relating to the electricity industry in the State in such manner as to safeguard the public interest;
- (q) to adjudicate upon the disputes and differences between a licensee and utility or to refer the same for arbitration;
- (r) to co-ordinate with environmental regulatory agencies for evolving policies and procedures for appropriate environmental regulation of Electricity
- (s) to aid and advise the State Government on any other matter referred by the State Government.

#### Powers of the Commission

- 11. (1) The Commission shall, while performing its adjudicatory functions under this Act, have all the powers of a Civil Court trying a suit in respect of the
  - (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
    - (b) requiring the discovery and production of any document;
    - (c) receiving evidence on affidavits;
  - (d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
  - (e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents; and
    - (f) any other matter which may be prescribed.
  - (2) The Commission shall have the power to require any person;--
  - (a) to produce before, and allow to be examined and kept by, an officer of the Commission specified in this behalf, such books, accounts, or other documents in the custody or under the control of the person so required as may be specified or described in the requisition, being documents relating to any matter concerning the generation, transmission, distribution or supply or use of electricity, the functioning of any undertaking involved in the above areas and other matters, the examination of which may be required by the Commission for the purpose of this Act; and
  - (b) to furnish to any officer so specified such information in his possession, power or control as may be required by the Commission for the purposes of discharge of its functions under this Act.

- (3) Where, during any inquiry or proceedings under this Act, the Commission has any ground to believe that any books or documents of, or relating to, any unit or person to which such inquiry is being made or proceeding relates, or which the owner of such unit may be required to produce in such inquiry or proceeding, are being, or may be, destroyed, mutilated, altered, falsified or secreted, the commission may, by a written order, authorise any officer of the Commission to exercise powers of entry, search and seizure as may be exercised by an Inspector under sections 240 and 240-A of the Companies Act, 1956.
- (4) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Commission may, by general or special order, call upon any person, including a generating company or a licensee, to furnish periodically any information, concerning the activities carried on by such person relating to generation, transmission, distribution or supply or use of electricity, or with regard to the connection between such person and any other person or undertaking including information relating to the organisation, business and cost of production of electricity to enable the Commission to carry out its functions under this Act.
- (5) In the discharge of its functions, the Commission may consult persons or group of persons affected or likely to be affected by the dicisions of the Commission.
- (6) The Commission may, at any time, call for and examine any information, details, books, accounts or other document from any person including a generating company or a licensee and shall make it available to the Central Electricity Authority, the Central Government or the State Government if so required by them under any law for the time being in force.
- (7) Every person to whom a notice may be issued under this Act shall furnish such information, details, books, accounts and other documents, as may be specifid in such notice by the Commission.
- (8) Notwithstanding anything contained in sections 12 to 16 and sections 18 and 19 of the Indian Electricity Act, 1910, the Commission may, by order in writing, for the placing of the electric supply lines, appliances and apparatus for transmission, distribution or supply of electricity or for the purposes of telephonic or telegraphic communications necessary for proper co-ordination of works, confer upon any licensee or any other person engaged in the business of transmission, distribution or supply of electricity, under this Act subject to such conditions and restrictions, as the Commission may think fit, any of the powers which the telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained by the Central Government or to be so established or maintained.

#### CHAPTER-III

## POWERS OF THE STATE GOVERNMENT

- 12 (1) The State Government may, from time to time, issue directions not inconsistent with this Act, on a policy matter in regard to electricity and if any dispute arises between the Commission and the state Government as to whether a question is or is not a policy matter, it shall be referred to the Central Electricity Regulatory Commission whose decision thereon shall be final and binding.
- (2) (a) The State Government shall be entitled to issue policy directions with respect to the subsidies to be granted for supply of electricity to any class or classes of persons or in respect of any area in addition to the subsidies adjusted by the Commission while regulating and approving the tariff structure:

Provided that the State Government shall contribute the amount to compensate licensee or person affected by the grant of the subsidies to the extent of the subsidies granted.

(b) The amount of the subsidy to be paid under clause (a) and the method and manner of payment and the time within which such amount is to be paid by the State Government shall be determined by the Commission and the Commission will calculate such amount in accordance with the procedure provided in the regulations.

Powers of the State Government

### CHAPTER-IV

# THE UTTAR PRADESH POWER CORPORATION LIMITED

Formation and functions of the Uttar Pradesh Power Corporation Limited

- 13 (1) For the purposes of procurement, transmission and supply of electricity, a Company by the name of the Uttar Pradesh Power Corporation Limited shall be formed and registered under the Companies Act, 1956 as soon as may be after the commencement of this Act by the State Government.
- (2) The Power Corporation shall undertake planning and co-ordination in regard to transmission and shall determine the electricity requirements in the State in consultation with the generating companies, the State Government, contiguous States, the Commission, the Regional Electricity board, the Central Electricity Regulatory Commission and the Central Electricity Authority.
  - (3) The Power Corporation shall,-
  - (a) be provisional licensee for transmission and supply of electricity with in the state until the grant of licence by the commission;
    - (b) be responsible for transmission system operations;
  - (c) be the legal successor of the Board in relation to all power purchase and transmission agreements entered into by the Board with generating and transmission companies including those owned or controlled by the Central
    - (d) undertake such other functions as may be required under the licence.
- (4) Upon the grant of licence to it under section 15, the Power Corporation shall have such powers and discharge such duties and perform such functions of the Board under the Indian Electricity Act, 1910 and the Electricity (Supply) Act, 1948 or the rules made thereunder as may be specified by the commission in the licence.
- (5) the Commission may, in consultation with the Power corporation grant licence also to a company subsidiary to the Power Corporation.

### CHAPTER-V

# LICENSING OF TRANSMISSION AND SUPPLY

Licensing

- 14. (1) No person shall engage in the business of transmission or supply of electricity unless he,-
  - (a) holds a licence; or
  - (b) is exempted under section 16 from the requirement of a licence; or
  - (c) is so authorised under the Indian Electricity Act, 1910 or the Electricity (Supply) Act, 1948;
- (2) Where a dispute arises as to whether any person is or is not engaged in the business of transmission or supply of electricity under sub-section (1), the matter shall be referred to the Commission and the decision of the Commission thereon shall be
- (3) The Commission shall have the powers to order a person, who is not a licensee, to cease operating, and disconnect its apparatus.

Grant of licence by the Commission

15. (1) The Commission may on an application made in such form and on payment of such fee, as may be provided by regulations, grant a licence authorising any person for transmission or supply of electricity, or both, in an area of transmission or

- (2) In respect of the grant of a licence under sub-section (1), the following provisions shall apply:—
  - (a) any person applying for a licence shall publish a notice of his application in such manner, and with such particulars as may be provided in the regulations, within fourteen days after making the application;
    - (b) the Commission shall not grant a licence until,—
    - (i) the objections, if any, received within three months from the date of last publication of the notice referred to in clause (a) have been considered by the Commission;
    - (ii) in the case of an application for licence to transmit or supply of electricity in an area which includes the whole or any part of any cantonment, aerodrome, fortress, arsenal, or camp or of any building or place in the occupation of the Central Government for defence purposes, it has been ascertained that there is no objection to the grant of licence on the part of the Central Government;
    - (c) where an objection is received from any local authority, the Commission shall, if in its opinion the objection is insufficient, record reasons for such opinion and communicate it to such local authority;
    - (d) no application for a licence shall be made by a local authority except in pursuance of a resolution passed in a meeting of such authority held after a notice, specifying the purpose of the meeting, has been given in the manner in which the notices for the meetings of such local authority are usually given.
  - (3) The provisions of clause (a), sub-clause (i) of clause (b) and clause (c) of sub-section (2) shall not apply to the power corporation.
  - (4) A licence may prescribe the extent to which, and the terms and conditions under which the transmission or supply of electricity is to be made and contain such other conditions as the Commission may consider appropriate for achieving the objects of this Act.
  - (5) Without prejudice to the generality of sub-section (4), the conditions of the licence may require the licensee to:—
    - (a) enter into an agreement on specified terms with any other person for the use of any electric lines, electrical plant and associated equipment operated by the licensee;
      - (b) comply with any direction given by the Commission:
    - (c) refer all disputes arising under the licence for determination by the Commission or by an arbitrator nominated by it;
    - (d) furnish information, documents and details which the Commission may require;
    - (e) comply with the requirements of the Indian Electricity Act, 1910 and the Electricity (Supply) Act, 1948 and the rules made thereunder in so far as they are applicable;
    - (f) undertake such functions and obligations of the Board under the Indian Electricity Act, 1910 and the Electricity (Supply) Act, 1948 as the Commission may specify;
    - (g) notify to the Commission any scheme which is proposed to be undertaken including the schemes under the Electricity (Supply) Act, 1948;
    - (h) purchase power in an economical manner in accordance with the guidelines, if any, issued by the Commission;

- (i) supply electricity to any consumer or to any other licensee;
- (j) establish a tariff or to calculate its charges from time to time in accordance with the directions of the Commission; and
  - (k) pay the fees and charges as may be required by the Commission.
- (6) The provisions contained in the Schedule to the Indian Electricity Act, 1910, shall be deemed to be incorporated in, and shall form part of, every licence granted under this Chapter, save in so far as they are expressly varied or excepted by the licence and shall, subject to any such additions, variations or exceptions which the Commmission is empowered to make having regard to the purposes of this Act, apply to the undertaking authorised by the licence in relation to its activities in Uttar Pradesh:

Provided that where a licensee is granted licence for the supply of electricity to other licensees for distribution by them, then, in so far as such licence relates to such supply, the provisions of clauses IV, V, VI, VII, VIII and XII of the said Schedule shall not be deemed to be incorporated in the licence.

- (7) The Conditions included in a licence may contain provision for any of the conditions to cease to have effect or be modified at such times, in such manner and in such circumstances as may be specified therein.
- (8) Any provision included under sub-section (7) in a licence shall have effect in addition to the provisions made under sub-section (5) of section 18 and sub-section (1) of section 19.
- (9) The grant of a licence under this section to any person shall not be a bar against grant of a licence to any other person for the same area.
- (10) The licence may provide that the licensee shall have the power and authority to take appropriate action for revenue realisation, prosecution for thest of electricity, meter tampering, diversion of electricity and any other matter affecting the distribution and supply of electricity.
- (11) The Commission may authorise licensees and other persons to exercise such powers and authority as the licensees and other persons could be given under the provisions of the Indian Electricity Act, 1910 or the Electricity (Supply) Act, 1948.

Exemptions from the licence

16. (1) The Commission may grant exemption from the requirement of a licence on such terms and conditions as may be specified in the regulations:

Provided that the commission shall not grant any exemption under this sub-section except with the consent:—

- (i) in case where electricity is to be supplied in an area forming part of any cantonment, aerodrome, fortress, arsenal, or camp or any building or place in the occupation of the Central Government for defence purposes, of the Central Government;
- (ii) in case where electricity is to be supplied in an area falling within the area of supply of a licensee, of that licensee:

Provided further that, except in a case under clause (i) of the first proviso, no such consent shall be necessary if the Commission is satisfied that such consent has been unreasonably withheld.

- (2) An exemption may be granted to a person or to a class of persons for a definite period, and every such exemption shall be published for general information in at least two newspapers having wide circulation in the area concerned.
- (3) The Commission may, at any time, for reasons to be recorded in writing, revoke the exemption granted under this section.

Duties and powers of the licensee

17. (1) It shall be the duty of the licensee of transmission or supply in respect of an area of transmission or supply, as the case may be, to develop and maintain an efficient, co-ordinated and economical system of electricity transmission or supply.

- (2) Every licensee and generating company shall comply with the provisions of the regulations made from time to time governing the terms and conditions for the operation and maintenance of the power system and electric supply lines.
- (3) Section 12 to 19 of the Indian Electricity Act, 1910 shall have effect in relation to a licensee as if he were a licensee under the said Act:

Provided that the Commission may impose such restrictions, exceptions and conditions as it may deem fit.

- (4) A licensee may, unless expressly prohibited by the licence, enter into arrangements for the purchase of electricity from,—
  - (a) the holder of a supply licence which permits the holder of such licence to supply electricity to other licensees for distribution by them; or
  - (b) any other person or generating company with the consent of the Commission.
- 18. (1) The Commission may inquire into the functioning of a licensee in respect of his obligations under this Act, in the following circumstances, namely:—

(a) upon receiving a complaint from any consumer or consumer association or any trade association; or

- (b) upon a reference made to it by the State Government, the Central Government, the Central Electricity Regulatory Commission or Central Electricity Authority; or
- (c) upon receiving a complaint from a person engaged in the generation, transmission, distribution or supply of electricity; or
- (d) upon its own knowledge or information that the licensee is committing or has committed any default in carrying out such obligations.
- (2) The Commission may revoke a licence on one or more of the following grounds, namely,—
  - (a) that the licensee has committed a wilful default to do anything required to be done by or under this Act, the Indian Electricity Act, 1910 or the Electricity (Supply) Act, 1948:
  - (b) that the licensee has committed breach of any of the terms and conditions of the licence, the breach of which is expressly declared by the licence to render it liable to revocation;
  - (c) that the licensee has failed within the period specified in the licence or any longer period allowed by the Commission to show that he is in a position to fully and efficiently discharge the duties and obligations imposed on him by the licence or to pay the fees or charges or to make the deposit or furnish the security required by the licence:
  - (d) where in the opinion of the Commission the financial position of the licensee is such that he is unable to fully and efficiently discharge the duties and obligations imposed on him by the licence.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the Commission may, on the application or with the consent of the licensee, revoke the licence in respect of the whole or any part of the area of transmission or supply, upon such terms and conditions as it thinks fit.
- (4) A licence shall be revoked under this section only after giving to the licensee a notice of not less than three months, stating the grounds on which the revocation is proposed and after affording him an opportunity of being heard.
- (5) Where the Commission might under sub-section (2) revoke a licence, it may instead of revoking the licence permit it to remain in force subject to such further terms and conditions as it thinks fit to impose and any further terms or conditions so imposed shall be binding upon, and be observed by the licensee, and shall be deemed to be incorporated in the licence.

Revocation of

Amendment of the licence

19. (1) The Commission may, either on its own or on an applicationsec, make such alterations and amendments in the terms and conditions of as it thinks fit:

Provided that no such alterations or amendments shall be made exceptions of the licensee unless such consent has, in the opinion of the Combeen unreasonably withheld.

- (2) Where the licensee has made an application under sub-section following provisions shall apply namely:—
  - (a) the licensee shall publish a notice of the application in such and with such particulars as may be provided by regulations;
  - (b) the Commission shall not make any alteration or amendment all the objections received within three months from the date of the publication of the notice have been considered; and
  - (c) in the case of an application proposing amendments in an are transmission or supply comprising the whole or any part of any cantonm acrodrome, fortress, arsenal, or camp or of any building or place in occupation of the Central Government for defence purposes, the Commiss Central Government.
- (3) Before making any alteration or amendment in a licence otherwise than a the application of the licensee, the Commission shall publish the proposed alteration or amendments and consider all the objections received within three months from the date of the last publication of the notice.

Procedure to be followed after revocation of the licence

- 20. (1) Notwithstanding anything contained in the provisions of sections 6 and 7 of the Indian Electricity Act, 1910, where the Commission decides to revoke a licence under section 18, the following provisions shall apply, namely:—
  - (a) the decision of the Commission shall be communicated to the licensee, and the licensee shall stand revoked on such communication of the
  - (b) the Commission shall, simultaneously with the communication of its decision under clause (a), make such interim arrangement in regard to the undertaking of the licensee for the purposes of maintaining and continuing the appointment of an administrator or administrators for such undertaking, and such administrator or administrators shall be deemed to be interim licensees:
  - (c) the Commission shall, by advertising in atleast two widely circulated newspapers, invite applications from such persons as are intending to purchase the undertaking of the licensee whose license has been revoked and are also willing to obtain a license under section 15.
- (d) the Commission shall consider the applications received under clause (e) for the purposes of granting a licence under section 15 and shall also determine the terms and conditions for the disposal of the said undertaking, and may, by notice in writing, require the licensee whose licence has been revoked. O sell his undertaking to the person whose application has been accepted by purchase price put forward in the application as the purchaser, for the

- (e) on and with effect from the date of revocation, or, where the undertaking of the licensee is sold to a purchaser earlier in pursuance of any of the provisions of this Act, on and with effect from the date of such sale, all rights, duties, obligations and liabilities of the licensee under this Act shall cease except for any liabilities that have accrued to that date.
- (2) Where an undertaking is sold under clause (d) of sub-section (1), the purchaser shall pay its purchase price to the licensee, within such period, not exceeding three months, as may be determined by the Commission.
- (3) Where the Commission issues any notice under clause (d) of sub-section (1), requiring the licensee to sell the undertaking, it may, by such notice, require the licensee to deliver, and thereupon the licensee shall deliver on a date specified in the notice, the undertaking to the designated purchaser pending the payment of the purchase price of the undertaking:

Provided that the purchaser shall pay to the licensee interest at such rate, not less than the Reserve Bank of India lending rate in force at the time of the delivery of the undertaking, as the Commission may decide, on the purchase price of the undertaking for the period from the date of delivery of the undertaking to the date of payment of the purchase price.

- (4) Where, for any reason whatsoever, the undertaking of a licensee whose licence has been revoked, cannot be sold under sub-section (1) the State Government shall acquire the said undertaking and pay the licensee whose licence has been revoked, the amount determined in accordance with section 7-A of the Indian Electricity Act, 1910, as applicable to Uttar Pradesh, and shall discharge all the obligations of the licensee until such times as the State Government sells the said undertaking to a new licensee, which it shall endeavour to do expeditiously without undue delay.
- 21. (1) No licensee or generating company shall, unless it has applied for and obtained the consent in writing of the Commission, acquire the licence, or the undertaking of, or associate with, any other licensee or any other person generating. transmitting, supplying or intending to generate, transmit or supply electricity:

Restrictions on licensees and generating companies

Provided that the Commission shall hear such person or authority as it considers proper before giving the consent under this section.

- (2) The Commission shall dispose of an application received under sub-section (1), within two months of receiving such application, after taking into account the objection, if any, of the concerned person or authority.
- (3) The licensee shall not assign his licence or transfer his undertaking; or any part thereof, by sale, mortgage, lease, exchange or otherwise, without the previous consent in writing of the Commission.
- (4) Any person to whom the provisions of section 44 of the Electricity (Supply) Act, 1948 are applicable shall obtain the consent of the Commission under that section in place of that of the Board.
- 22. Every licensee shall, unless expressly exempted under the licence, prepare Annual accounts and render to the Commission, on or before such date in each year as may be specified in the licence, an annual statement of accounts of his undertaking and of each separate business unit in such form and containing such particulars, as may be required under the licence and such statements shall be published in at least two daily newspapers having wide circulation in the area concerned.

of a licensee

### CHAPTER-VI

### REORGANISATION OF THE ELECTRICITY INDUSTRY

23. (1) On and from the date specified in a transfer scheme, prepared and Transfer of the notified by the State Government to give effect to the objects of this Act, hereinafter referred to as the appointed date in this Act, all properties, and all interests, rights and liabilities of the Board therein shall vest in the State Government.

Board's properties, powers, functions, duties and personnel

- (2) The properties, interest, rights and liabilities vested in the State Government under sub-section (1), shall be revested by the State Government in the power Corporation and in a generating company in accordance with the transfer scheme so notified along with such other property, interest, rights and liabilities of the State Government as may be specified in such scheme, on such terms and conditions as may be determined by the State Government.
- (3) In addition to the rights and powers of the Power Corporation as specified in Chapter IV of this Act, such of the rights and powers exercisable by the Board under the Electricity (Supply) Act, 1948 as the State Government may, by notification, specify shall be exercisable by the Power Corporation or the generating company, as the case may be, for the purposes of performing the functions and discharging the duties
- (4) The State Government may, after consultation with the generating company or the power Corporation, hereinafter referred to in this section as transferer. may, require transferer to draw up a transfer scheme to vest in a person hereinafter referred to in this section as transferee, any of the functions including distribution function, property, interest, right or liability which may have been vested in the transferor under this section and notify the same as statutory transfer scheme under this Act. The transfer scheme to be notified under this sub-section shall have the same effect as the transfer scheme under sub-section (2). (5) Where,\_\_
  - (a) a transfer scheme involves the transfer of any property or right in favour of any person or undertaking not wholly owned by the State Government, the scheme shall give effect to the transfer only for fair value to
  - (b) a transaction of any description is made in pursuance of a transfer scheme, it shall be binding on all persons including third parties, even if such (6) A transfer scheme may,—

- (a) define the property, interest, rights and liabilities to be allocated—
  - (i) by specifying the property, rigths and liabilities;
- (ii) by referring to all the properties, interests, rights and liabilities comprising a specified part of the transferer's undertaking; or
  - (iii) partly in one way and partly in the other;
- (b) provide that the rights or liabilities specified in the scheme shall be enforceable by or against the transferor or the transferee;
- (c) impose on the transferce an obligation to enter into such written agreements with or execute such other instruments in favour of any other
- (d) make such supplemental, incidental and consequential provisions as the transferor may consider appropriate including provisions specifying the order in which any transfer or transaction shall take effect.
- (7) The State Government may provide in any of the transfer schemes framed under this section for the transfer of personnel to the Power Corporation or a company subsidiary to the Power Corporation or a generating company, on the vesting of porperties, rights and liabilities in the Power Corporation or a company subsidiary to the Power Corporation or a generating company, as a part of the undertakings transferred under this section and on such transfer the personnel shall hold office or service under the Power Corporation or a company subsidiary to it or a generating company, as the case may be, on terms and conditions that may be determined in accordance with the transfer scheme subject however to the following, namely;

- (a) terms and conditions of service of the personnel shall not be less favourable to the terms and conditions which were applicable to them immediately before the transfer;
  - (b) the personnel shall have continuity of service in all respect; and
- (c) all benefits of service accrued before the transfer shall be fully recognised and taken into account for all purposes including the payment of any or all terminal benefits:

đ

ιS

g

ж

Provided that, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, and except as provided in the transfer scheme and in this Act, the transfer shall not confer any right on the personnel so transferred to any compensation or damages:

Provided further that the posts in the Board of all the personnel whose services are to be so transferred shall stand abolished with effect from the date of transfer.

Explanation:—For the purposes of this section and the transfer scheme, the expression "personnel" means all persons who on the appointed date are the employees of the Board and who under the transfer scheme are given the option to join service under the control of the transferee.

- (8) All debts and obligations incurred, all contracts entered into and all matters and things done by, with or for the Board, including all securities, and guarantees given on behalf of the Board before the appointed date for a transfer scheme becomes effective shall, to the extent specified in the relevant transfer scheme, be deemed to have been incurred, entered into or done by, with or for the State Government or the concerned transferee and all suits or other legal proceedings instituted by or against the Board may be continued or instituted by or against the State Government or the concerned transferee, as the case may be.
- (9) Where a licensee is required to vest any part of his undertaking in another licensee under sub-section (4), the licence of the transferee may be amended under section 19 or revoked under section 18.
- (10) The Board shall cease to be charged with, and shall not perform the functions and duties specified by notification issued under sub-section (3) with regard to transfers made on or after the date of the said notification.

#### CHAPTER-VII

#### TARIFFS

24. (1) The licensee shall follow the procedure specified in the regulations in calculating the expected revenue from charges which he is permitted to recover and in determining tariffs.

Licensee's revenues and tariffs

- (2) Save as provided in sub-section (3), the Commission may specify in regulations the terms and conditions for the determination of the revenue and tariffs and, in doing so, the Commission shall be guided by the following, namely:—
  - (a) the financial principles and their application provided in sections 46, 57 and 57-A of the Electricity (Supply) Act, 1948 and in the Sixth Schedule thereto;
  - (b) the factors which would encourage efficiency, economical use of the resources, good performance, optimum investments, observance of the conditions of the licence and other matters which the Commission may consider appropriate for the purposes of this Act; and
    - (c) the interest of the consumers.
- (3) Where the Commission departs from the factors specified in clauses (a) to (c) of sub-section (2), it shall record the revenue for such departure.

- (4) (a) Every licensee shall provide to the Commission at such time and it such manner as may be provided by the regulations, full details of its calculation for the ensuing financial year of the expected revenue from charges which it believes to have been permitted to recover and thereafter it shall also furnish such further information as the Commission may reasonably require to assess the licensee's calculation.
- (b) The licensee shall also publish, within three days of submission of his proposal for the tariff for the ensuing year, a notice in atleast two daily newspapers, widely circulating in the area of supply, outlining the proposed tariff and calling for objections from the interested persons and the State Government.
- (c) The Commission while determining the tariff shall also take into consideration the objections, if any, received within one month from the date of last publication of the notice referred to in clause (b).
- (5) The Commission shall, within ninety days from the date on which the licensee has furnished the information under sub-section (4), give notice to the licensee
  - (a) accepts the licensee's calculations; or
  - (b) does not consider the licensee's calculations to be in accordance with the procedure given in the licence or considers that it is otherwise incorrect, specifying the reasons therefor and proposing modifications or alternative calculations.
- (6) The Commission may, after notifying its decision on the licensee's calculations as provided in sub-section (5), determine whether the tariff charged by the licensee is required to be modified, and if so, require the licensee to modify the tariff or
- (7) Each holder of a supply licence shall publish in at least two daily newspapers, widely circulating in the area of supply, and make available to the public on request, the tariff for the electricity within its area of supply and such tariff shall come into force after seven days from the last date of such publication, and any tariff implemented under this section,-
  - (a) shall not show any preference or favour to any consumer of electricity, but may differentiate on the ground of the consumer's load factor or purpose of use or power factor, the consumer's total consumption of electricity during any specified period, or the time during which the supply is required:
  - (b) shall be just and reasonable and be such as to promote economy and efficiency in the supply and consumption of electricity; and
  - (c) shall accord with all other relevant provisions of this Act and the conditions of licence.
- (8) Tariff shall not be determined more than once in a financial year except in respect of any changes expressly permissible under the terms of any fuel surcharge formula as may be provided by regulations. At least one hundred days before the proposed date for implementation of any tariff, the licensee shall provide details of the proposed tariff to the Commission, together with such further information as the Commission may require with a view to determining whether the proposed tariff is in accordance with sub-section (7). If the Commission considers that the proposed tariff of a licensee does not fulfil any one or more of the requirements of sub-section (7), it shall, wihtin ninety days of receipt of all the information which it required, and after consultation with the Electricity Advisory Committee constituted under section 29, and the licensee, inform the licensee that the tariff is not acceptable to the Commission, and it shall provide to the licensee an alternative tariff which shall be implemented by the licensee. The licensee shall not implement any tariff unless it has been approved by the

(9) Notwithstanding anything contained in sections 57-A and 57-B of the Electricity (Supply) Act, 1948, no "Rating Committee" shall be constituted after the commencement of this Act and the Commission shall ensure compliance of the terms and conditions of the licence by the licensee in relation to charges for the sale of electricity, both wholesale and retail, and for the connection to an use of, their assets or systems in accordance with the provisions of this Act.

Explanation :- For the purposes of this section,-

- (a) the word "licensee" shall include a person authorised to transmit, sell, distribute or supply electricity:
- (b) "the expected revenue from charges" means the revenue which a licensee is expected to recover from charges on supply forecast used in the determination of tariff under sub-section (4); and
- (c) "tariff" means a schedule of standard prices or charges for specified services, which are applicable to all such specified services, provided to the category or categories of customers specified in the tariff.
- 25. (1) The State Government may, from time to time, make subventions to any licensee for the purposes of sub-section (2) of section 12 for such amounts as may be recommended by the Commission.

Financing of licensees and generating companies

- (2) The State Government may, from time to time, advance loans to any licensee or generating company which for the time being is wholly or substantially owned by the State Government, on such terms and conditions as the State Government may determine.
- (3) The State Government may guarantee, in such manner as it thinks fit, the repayment of the principal or the payment of interest, or both, of any loan proposed to be raised by, or, the discharge of any other financial obligation of any licensec or generating company for the time being wholly or substantially owned by the State Government:

Provided that the State Government shall, so long as such guarantee is in force, lay before the State Legislature every year a statement of the guarantees, if any, given during the preceding year and an up-to-date account of the total sums, if any, paid out of the State revenue in each case by reason of any such guarantees or paid into the state revenue towards repayment of any money so paid out.

(4) The State Government shall be entitled to inspect and verify the accounts of every licensee or generating company obtaining any benefits under sub-section (1) for sub-section (2) or sub-section (3).

#### CHAPTER-VIII

### COMMISSION'S POWER TO PASS ORDERS AND ENFORCE DIRECTIONS

- 26. (1) Where it comes to the knowledge of the Commission from a complaint of otherwise that any of the terms and conditions of a licence has been contravened by the licensee or is likely to be contravened, it may by an order require the licensee to do, or to abstain from doing, such things as may be specified in such order for the purposes of securing compliance with the terms and conditions of the licence.
- (2) While making an order under this section, the Commission shall have regard to the following facts, namely,—
  - (a) the extent to which the contravention referred to in sub-section (1) will affect the achievement of the objects and purposes of this Act;
  - (b) the extent to which any person is likely to sustain loss or damage in consequence of anything which is likely to be done or omitted to be done in contravention of any of the terms and conditions of the licence, before an order can be made; and

Orders by the Commission

- (c) any other remedy available in respect of the contravention referred to in sub-section (1).
- (3) Before making an order under sub-section (1), the Commission shall give a notice to the licensee ;--
  - (a) stating that it proposes to make the order;
  - (b) setting out.-
  - (i) conditions or requirements, with which the proposed order is intended to secure compliance;
  - (ii) the acts or omissions which, in its opinion, constitute contravention of any of the terms and conditions of the ficence; and
  - (iii) any other facts which, in its opinion, justify the making of the order; and
  - (c) specifying the period not being less than thirty days from the date of the notice within which the licensee may make representation or objections to the proposed order.
- (4) A notice under sub-section (3) shall be published for general information, in at least one daily newspaper widely circulated in the area of supply.
- (5) Where the Commission is of the view that the purpose of making an order shall be defeated by delay in making the order, or the contingency of the circumstances so require, it may make an interim order not inconsistent with the order proposed under sub-section (3) any time after seven days from the date of the said notice.
- (6) The Commission shall have the powers to give directions for the vesting of the management and control of any of the undertakings of the licensee with the assets, interests and rights of the undertaking with any person or authority pending an inquiry in the matter, if the Commission considers it necessary to make such direction after taking into account the objects and purposes of this Act and the need to maintain continuous supply of electricity in an efficient and safe manner to the consumers :

Provided that no direction under this sub-section shall be issued without giving. the licensee a reasonable opportunity of being heard.

- (7) The Commission may, after considering the representations or objections received and after affording the licensee an opportunity of being heard, make an order at any time after the expiry of the period referred to in clause (c) of sub-section (3), if,—
  - (a) the Commission has reasons to believe that the licensee has contravened or is contravening or may in all probability contravene any of the terms and conditions of the licence; and
  - (b) the order appears to be necessary for securing compliance with the terms and conditions of the licence.
- (8) Where, after a notice has been issued under sub-section (3), the licensee has taken or has agreed to take all such steps as may be necessary for the implementation of the terms and conditions of the licence, it shall not be necessary for the Commission to make an order under this section.
  - (9) An order under this section,--
  - (a) shall take effect from such prospective date as may be specified in the
  - (b) may be revoked or modified at any time by the Commission after affording an opportunity of being heard to the licensee and all other such persons as are likely to be affected by such order.

- (10) An order under sub-section (1) or sub-section (5), shall be published in at least one daily newspaper widely circulated in the area of supply.
- 27. (1) Without prejudice to the provisions of section 45, every direction or order made by the Commission may be enforced by the Commission as if it were a decree or order made by a Civil Court and the Commission had all the powers to execute it .

Enforcement of the orders and . directions of the Commission

(2) The Commission shall have the powers to take such assistance from the police and other authorities as may be considered necessary for the enforcement of its orders and directions.

Fines. compensation and charges

- 28. (1) The Commission shall have the powers to impose such fines and charges as may be provided by the regulations for contravention by a generating company, licensee or other person, of any of the provisions of this Act or the rules and regulations made thereunder or the directions or orders of the Commission made from time to time. The fines that the Commission may impose may extend to rupees five lakh for contravention of any of the provisions of this Act and in case of a Continuing contravention, the Commission may impose a further fine which may extend to rupees twenty thousand for each day during which such contravention continues.
- (2) The Commission shall have the power to direct the person, who has contravened the provisions of this Act, to make payment of compensation to the person who has suffered loss or damage due to such contravention.
- (3) The fines and charges imposed and compensation ordered to be paid under this section shall be in addition to and not in derogation of any other liability under Chapter XI or under any other law for the time being in force.

### CHAPTER-IX

## ELECTRICITY ADVISORY COMMITTEE AND CONSUMER PROTECTION

29. (1) The Commission shall, in consultation with the State Government, constitute a committee to be known as the Electricity Advisory Committee which shall advise the Commission on policy matters and on any other matter relating to quality and continuity of service provided by licensees.

Electricity Advisory Committee

- (2) the Electricity Advisory Committee shall consist of such number of persons including ex-officio Chairperson and Members, being not less than fifteen and not more than twenty one, as the Commission may decide. The Commission shall appoint the members on the said Committee in such manner that there shall be at least one member representing each of the interests of licensees, generating companies operating in the State, commerce, industry, transport, agriculture, labour employed in the electricity supply industry and consumers of electricity.
- (3) The Chairperson and the other Members of the Commission shall respectively be ex-officio Chairperson and other Members of the Electricity Advisory Committee.
- (4) The Electricity Advisory Committee shall meet at least once in every three months.
- 30. (1) The Commission may, in consultation with the licensee and the Power of Electricity Advisory Committee and any other person as it thinks fit, make regulations commission to which may provide for all or any of the following matters, namely,-
  - (a) The circumstances in which licensees are to inform customers of their rights;
  - (b) standards of performance in relation to any duty arising out of the rights referred to in clause (a); and
  - (c) the circumstances in which the licensees are to be exempted from any requirements of the regulations,

and may make different provisions for different licensees.

make regulation

Electricity

supply and

overall performance

standards

(2) Nothing in this Act shall affect the rights and privileges of the consumers under any other law for the time being in force.

31. (1) The Commission may, from time to time, in consultation with the licensees, the Electricity Advisory Committee and any other persons as it thinks fit:—

- (a) determine such standards of overall performance in respect of electricity supply services and promotion of the efficient use of electricity by consumers, as in its opinion, are economical and ought to be achieved by such licensees, and different standards may be determined for different licensees; and
- (b) publish the standards so determined in such form and in such manner as the Commission may consider proper.

Information with respect to levels of performance

- 32. (1) On or before such date in each year as may be specified by the Commission, every licensee shall furnish to the Commission the information in
  - (a) the number of cases in which a penalty was imposed and the amount of the penalty; and
  - (b) the level of performance achieved by the licensee for each standard determined under section 31.
- (2) the Commission shall, at least once in every year, publish for general information, the information received by it under sub-section (1) in at least two daily newspaper widely circulating in the area of supply of the licensees.

Restriction on disclosure of information

'33. (1) Save as othrwise provided in this Act, no unpublished information in respect of any person or business which, has been furnished to, or, obtained by, the Commission under this Act shall be disclosed by the Commission, without the consent of the concerned person or the person incharge of the business:

Provided that such information may be disclosed to be Central Government, the State Government, Accountant General of the State or a person who requires it in connection with the discharge of his functions under the law relating to insolvency or in connection with the investigation of any criminal offence or for the purposes of any civil or criminal proceedings.

(2) the restriction contained in sub-section (1) shall not apply to the information relating to tariff.

### CHAPTER-X

## ARBITRATION AND APPEALS

Arbitration

- 34. (1) Notwithstanding anything contained in the Arbitration and Conciliation Act, 1996, any dispute or differences arising between licensees or in respect of matters specified in sub-section (1) of section 30, shall be referred to the Commission for arbitration. The Commission may proceed to act as arbitrator or nominate an arbitrator to adjudicate and settle the dispute. The arbitrator shall follow such procedure as may be in accordance with the principles of natural justice.
- (2) Where the award is made by an arbitrator nominated by the Commission it shall be filed before the Commission and the Commission may make an order to,—
  - (a) confirm and enforce the award:
  - (b) set aside or modify the award; or
  - (c) remit the award for reconsideration by the arbitrator.
- (3) An award made under sub-section (1) or an order made under subsection (2) by the Commission involving a valuation of over 50,000 rupees shall be appealable under this Act.
- (4) An award made under sub-section (1) or an order made under subsection (2) by the Commission, shall be enforceable as if it were a decree of the Civil Court.

35. Notwithstanding anything contained in the Indian Electricity Act, 1910, the Electricity (Supply) Act, 1948, or any rules made thereunder, an appeal shall lie from the decision of an Electrical Inspector, other than an Inspector of the Central Government or the Central Electricity Authority, within a period of thirty days from the date of communication of the order appealed from, to the Commission.

Appeals from the orders of the Electrical Inspector

36. Any person aggrieved by an award or order of the Commission under this Act (other than an award or order under section 34 involving a valuation of up to 50,000 rupees only) may, within sixty days from the date of communication to him of the order of the Commission, prefer an appeal to the High Court:

Appeals from the orders of the Commission

Provided that the High Court may, if it is satisfied that appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within the said period, allow it to be' preferred within a further period not exceeding sixty days.

#### CHAPTER-XI

#### OFFENCES AND PENALITIES

#### 37. (1) Whoever,---

Offences and Penalties

- (a) in contravention of the provisions of this Act, the rules or the regulations made under this Act or of the provisions of the Indian Electricity Act, 1910, the Electricity (Supply) Act, 1948 or the rules made thereunder, engages in the business of transmission or supply of electricity, or
- (b) refuses or fails without reasonable cause to comply with, or give effect to, any direction, order or requirement made under this Act, shall be guilty of an offence under this Act.
- (2) Any person guilty of offence under clause (a) of sub-section (1), shall be punished with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to rupees five takh, or with both, and a further penalty which may extend to rupees twenty thousand for each day after the first during which the offence continues.
- (3) Any person guilty of an offence under clause (b) of sub-section (1) shall be punished with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to rupees five lakh, or with both, and a further penalty which may extend to rupees twenty thousand for each day after the first during which the offence continues.
- 38. (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of, and responsible to, the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Offences by Companies

Provided that no such person shall be liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company, and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation: - For the purposes of this section, -

- (a) "company" means a body corporate, and includes a firm or other association of individuals; and
  - (b) "director" in relation to a firm, means a partner in the firm.
- 39. (1) The Commission may, for reasons to be recorded in writing, accept from any person who has committed or is reasonably suspected of having committed an offence punishable under this Act, a sum of money not exceeding rupees five lakh by way of composition fee and compound the offence.

Composition of offences

sub-1 be

ly

in 16

nt

ıt. in

in

ny

he

ınd

in

the

or

ow.

a it

sub- : ' the

(2) On the composition of any offence under sub-section (1) no proceed shall be taken or continued against the person concerned in respect of such offence, a if any proceedings in respect of that offence have already been instituted against him any court, the composition shall have the effect of his acquittal.

Cognizance of offences .

- 40. (1) No court shall take cognizance of any offence under this Act exce on a complaint in writing of an officer of the Commission authorised in this behalf t
- (2) An offence under this Act shall be triable by a court not lower in ran than that of the Chief Judicial Magistrate or Additional Chief Judicial Magistrate having jurisdiction.

Penalties and Proceedings not to prejudice other actions

41. All proceedings and actions against a person under this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any proceeding or action under any other law for

### CHAPTER-XII

## ACCOUNTS AND AUDIT

Grant by the State Government

The State Government shall after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilized for the purposes of this

Provided that expenditure in respect of salaries and allowances of the Chairperson and other Members shall be charged on the

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-

Accounts and Audit

- 43. (1) The Commission shall maintain accounts and other records and shall cause to be prepared an annual statement of accounts in such form as may be prescribed.
- (2) The accounts of the Commission shall be audited by the Accountant General, Uttar Pradesh, or any officer authorised by him in this behalf.
- (3) The copies of annual statement of accounts of the Commission together with the audit report thereon shall be forwarded to the State Government,
- (4). A copy of the annual statement of accounts of the Commission together with the audit report thereon received by the State Government under sub-section (3) shall be laid before each House of the State Legislature.

Annual Report of the Commission

- 44. (1) The Commission shall prepare, in such form and at such time, for each financial year, as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and copies thereof shall be forwarded to the State Government.
- (2) The Sate Government shall cause the annual report to be laid, as soon as may be, after it is received, before each House of the State Legislature. CHAPTER-XIII

### MISCELLANEOUS

Amount recoverable as land revenue

45. Any amount payable under this Act, except an amount payable under Chapter X may, on a certificate of the Secretary of the Commission, be recovered as arrears of land revenue.

Application of fines and charges

46. The Commission while imposing any fine or charges under this Act may direct that the whole or any part thereof shall be applied in or towards payment of the cost of the proceedings to a party.

Protection of action taken in good faith

47. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or rules or regulations or orders made thereunder.

48. No order or proceeding made under this Act shall be appealable except as provided in this Act and no civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the Commission or any other authority is empowerd by or under this Act to decide.

Bar of jurisdiction

49. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, by reasons of anything contained in this Act, or any other enactment for the time being in force, the State Government may, as the occasion requires, by order direct that this Act shall, during a period not extending beyond twelve months after the date of such order have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient and any such order may be made with retrospective effect from any date not earlier than the commencement of this Act.

Power to remove difficulties

- (2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the commencement of this Act.
- (3) The provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply to an order made under sub-section (1) as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.
- 50. All proceedings before the Commission shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193, 219 and 228 of the Indian Penal Code and the Commission shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973.

51. The Chairperson, Members and other employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Proceedings before the Commission to be judicial proceedings

Chairperson, Members and staff of the Commission to be public servants Power to make regulations

- 52. (1) The Commission may make regulations not inconsistent with this Act or the rules made thereunder for the efficient performance of its functions under this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), such regulations may provide for all or any of the following matters,
  - (a) the administration of the affairs of the Commission in the exercise of its functions;
  - (b) determination of the functions to be assigned to licensees and other persons involved in the generation, purchase, transmission, distribution or supply of electricity, the manner in which such functions shall be discharged and the procedures to be adopted and enforced in regard to the operation and maintenance of power system and electric supply lines;
  - (c) the procedure and the conditions for the grant of licences, the particulars and documents to be made available by the persons applying for licences, the standards and general conditions subject to which the licence shall be granted, the grant of exemptions from the requirement of a licence, the revocation and amendment of licences and the effect thereof and all matters related thereto;
    - (d) the duties, powers, rights and obligations of licensees;
  - (e) the particulars to be furnished, and the form and manner for furnishing information, particulars, documents, accounts and books by the persons involved in the generation, transmission, distribution, supply or use of electricity;
  - (f) the terms and conditions and the procedure for determination of revenues and tariffs;
  - (g) the determination of the standards of performence of the persons involved in the generation, transmission, distribution or supply of electricity in the State;

- (h) the fees and charges payable by the licensee and the consumer of electricity;
- (i) the amount of fines and penalties to be imposed for violation of the provisions of this Act including the method and manner of imposition of fines and penalties and collection of the same;
- (j) any other matter which is required to be, or may be, provided by regulations.

Power to make rules

- 53. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the power contained in sub-section (1), such rules may provide for all or any of the following matters.
  - (a) the procedure to be adopted by the Selection Committee for selection and appointment of the Chairperson and the Members:
  - (b) the form and manner in which the accounts of the Commission shall be maintained; and
  - (c) any other matter which is required to be, or may be, prescribed by rules.

### CHAPTER-XIV

## EFFECT ON EXISTING CENTRAL LAW

Effect of this Act on the Indian Electricity Act. 1910 and the Electricity (Supply) Act, 1948

- 54. (1) Except as provided in section 55, the provisions of this Act. notwithstanding that the same are inconsistent with or contrary to the provisions of the Indian Electricity Act, 1910, or the Electricity (Supply) Act, 1948 shall prevail in the manner and to the extent provided in sub-section (3).
- (2) Subject to sub-section (1), all matters in the Indian Electricity Act, 1910 and the Electricity (Supply) Act, 1948, with which the Board has been concerned or dealing with, shall be subject to the following:—
  - (a) the Board shall cease to undertake the functions which are to be discharged by the Commission in terms of the provisions of this Act, or any rules or regulations made under the Act;
  - (b) upon the issue of notifications in terms of section 23 of this Act, the Board shall cease to undertake such of the functions of the Board as are assigned under the notification to the companies or body corporate or persons or authority.
- (3) Subject to sub-sections (1) and (2), upon the establishment of the Commission, the provisions of the Indian Electricity Act, 1910 and the Electricity Modifications, and reservations provided in this Act including the following:—
  - (i) All references to the State Electricity Board in the Indian Electricity Act, 1910 in so far as this State is concerned shall be read as reference to the Commission or companies or body corporate or person or authority as provided in this Act or any rules or regulations framed under this Act and wherever it relates to general policy matters, the State Government.
  - (ii) The provisions of sections 3 to 11, 28, 36 (2), 49-A, 50, 51 and 52 of the Indian Electricity Act, 1910, to the extent this Act has made specific provisions, shall not apply in the State.
  - (iii) The provisions of all other sections of the Indian Electricity Act, 1910 shall apply except that:—
    - .. (a) the terms "licence", or "licensee" shall have the meaning as defind in this Act and the licences issued under the said Act of 1948 shall be construed as having been issued under this Act:

- (b) the reference to the sections of the Indian Electricity Act, 1910 and the Electricity (Supply) Act, 1948 in the provisions of the Electricity (Supply) Act, 1948 shall be taken as references to the corresponding provisions of this Act to the extent modified by this Act:
- (c) the reference to arbitration in this Act, except where it is by the Central Electricity Authority, shall be taken as reference to the proceedings under section 34 of this Act and the arbitration procedure prescribed under the Indian Electricity Act, 1910 shall not apply;
- (iv) The Schedule to the Indian Electricity Act, 1910 shall be applicable only with reference to the provisions of this Act wherein the applications of the Schedule are specified and not otherwise.
- (v) All reference to the State Electricity Board in the Electricity (Supply) Act, 1948, in so far as this State is concerned shall be read as references to the Commission or companies or body corporate or person or authority as provided in this Act or any rules or regulations framed under this Act and wherever it relates to general policy matter, the State Government.
- (vi) In respect of matters provided in sections 5 to 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 to 26, 27, 37, 40 to 43, 44, 45 to 54, 56 to 69, 72, 75 and 76 to 83 of the Electricity (Supply) Act, 1948, to the extent this Act has made specific provisions, the provisions of the Electricity (Supply) Act, 1948, shall not apply in the State.
- (vii) The provisions of all other sections of the Electricity (Supply) Act. 1948, shall apply except that :—
  - (a) the terms "licence", or "licensee" shall have the meaning as defined under this Act and the licences issued under the said Act of 1948 shall be construed as having been issued under this Act;
  - (b) the reference to the sections of the Indian Electricity Act, 1910 and Electricity (Supply) Act. 1948, in the provisions of the Electricity (Supply) Act, 1948, shall be taken as reference to the corresponding provisions of this Act to the extent modified by this Act;
  - (c) the reference to arbitration in these provisions except where it is by the Central Electricity Authority shall be taken as reference to the proceedings under section 34 of this Act and the arbitration procedure prescribed under the Electricity (Supply) Act, 1948, shall not apply.
  - (viii) The provisions of section 72 and 73 of the Electricity (Supply) Act, 1948, shall be restricted to generating companies and references to the State Electricity Board in these sections shall stand omitted.
  - (ix) The Schedules to the Electricity (Supply) Act, 1948, shall be applicable only with reference to the provisions of this Act wherein the application of the Schedules are specified and not otherwise.
- 55. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the powers, rights and functions of the Regional Electricity Board, the Central Electricity Authority, the Central Government and authorities other than the State Electricity Board and the State Government under the Indian Electricity Act, 1910 or the Electricity (Supply) Act, Government under the Indian Electricity act, 1910 or the Electricity (Supply) Act, 1948, or rules made thereunder shall remain unaffected and shall continue to be in force.
- (2) Nothing contained in this Act shall, in relation to the inter-State transmission of electricity, apply to the Power Grid Corporation of India Limited, or to licensees, generating companies, undertakings or other bodies owned or controlled by the Central Government.

Savings

(3) All actions taken by the State Government or the Commission under the (3) All actions taken by the State Government or the Commission under the Central Act prior to the commencement of this Act shall be valid and enforceable notwithstaning that they are inconsistant with or contrary to the provisions of this Act.

> By order, . Y. R. TRIPATHI, Pramukh Sachiv,

पी० एस० यू० पी०-45 सा० विधार्यः-1999-(601)-850-(कप्यूटर/आफसेट)।